अध्यक्ष

श्री राकेश कुमार

निदेशकगण

श्री रजनीश क्वात्रा

श्री शाजी जॉन

श्री जयकुमार श्रीनिवासन

श्री अजीत कुमार तिवारी

श्री बिभु प्रसाद महापात्रा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री मोहन रेड्डी के

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री अशोक कुमार माली

कंपनी सचिव

श्री निखिल कुमार

सांविधिक लेखापरीक्षक

सेठ एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
90 पीरपुर स्क्वेयर
लखनऊ

सचिवीय लेखा–परीक्षक

सी.एस.गुंजन गोयल,
पेशेवर कंपनी सचिव,
सी –4/152, विकास खंड,
गोमती नगर,
लखनऊ – 226 010.

प्रमुख बैंकर एवं वित्तीय संस्थान

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड,
आर.ई.सी. लिमिटेड,
भारतीय स्टेट बैंक

पंजीकृत कार्यालय

6/42, विपुल खंड,
गोमती नगर,
लखनऊ – 226 010,
उत्तर प्रदेश.

विषय सूची

निदेशकों की रिपोर्ट	02
नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की टिप्पणी	31
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	35
तुलन–पत्र	44
लाभ–हानि विवरण	45
नकद प्रवाह विवरण	47
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	48

नोटःहिन्दी संस्करण को समझने में कोई संदेह/विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही सर्वमान्य होगा।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में
सदस्यगण,
नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड,

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके समक्ष कंपनी के आठवीं वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में हम अत्यंत हर्ष का अनुभव करते हैं। इसमें आलोच्य अवधि के आंकडों की लेखापरीक्षा के विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी शामिल हैं।

परियोजना प्रोफाइल

सदस्यगण को ज्ञात होगा कि आपकी कंपनी उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर जिले के घाटमपुर तहसील में 1980 मे.वा. (3X660 मे.वा.) कोयला आधारित घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट (जीटीपीपी) की स्थापना कर रही है। भारत सरकार ने दिनांक 27.07.2016 को परियोजना के लिए ₹17,237.80 करोड़ रुपये के संशोधित पूंजी व्यय पर दिसंबर 2015 की आधार तिथि के साथ मंजूरी दे दी है तथा परियोजना का निर्धारित समय भारत सरकार की स्वीकृत तिथि से 52 महीने, 58 महीने और 64 महीने क्रमशः 660 मेगावाट की पहली, दूसरी और तीसरी इकाई के लिए है।

आपकी कंपनी झारखंड राज्य के दुमका जिले में कोयला पछवारा दक्षिण कोयला खंड (पीएससीबी) का भी विकास कर रही है, जिसमें 354 मिलियन टन शुद्ध भूगर्भीय कोयला का भंडार है, जो जी.टी.पी.पी की कोयले की आवश्यकता को पूरा करता है। उक्त कोयला खंड के विकास और संचालन के लिए, एम.आई.पी.एल.–जी.सी.एल. इन्फ्राकंट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद को कोयला खदान विकासक और संचालक के काम के लिए ₹21,228.98 करोड़ के मूल्यांकन मूल्य (जीएसटी और डीजल सहित) पर कार्य आदेश जारी किया गया है।

भूमि

आपकी कंपनी ने पहले से ही सरकारी अधिसूचना के माध्यम से घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट के लिए 791.61 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया है, जो परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का एक बड़ा हिस्सा है। शेष 52.33 हेक्टेयर निजी भूमि की गैर–अधिसूचित क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए कानपुर नगर जिला प्रशासन के निर्देशन और देख–रेख में, भूमि मालिकों से सीधी खरीद के माध्यम से प्रयत्न जारी है। 31.07.2020 तक, 51.68 हेक्टेयर भूमि के लिए सहमति मिल गई है और शेष 0.65 हेक्टेयर के लिए भूमि मालिकों से सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट के रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए, 181.43 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए कंपनी ने भूमि मालिकों से सीधे खरीद के माध्यम से ज़मीन के अधिग्रहण के लिए जिला प्रशासन की स्वीकृति प्राप्त की है। 31.07.2020 तक, 171.84 हेक्टेयर निजी भूमि में से, 164.75 हेक्टेयर के लिए सहमति मिल गई है और शेष 7.09 हेक्टेयर के लिए सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

जल

जैसा कि पिछले प्रतिवेदनों में उल्लिखित है– उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिमी इलाहाबाद शाखा नहर (डब्ल्यू.ए.बी.सी) से 80 क्यूसेक्स पानी देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। जल की बचत के लिए नहर का परतीकरण किया जाएगा तथा इस पानी को बिधनू कस्बा गांव के पास स्थित स्त्रोत से भूमिगत पाईपों के माध्यम से घाटमपुर ताप विद्युत संयंत्र जलाशय को भेजा जाएगा।

आपकी कंपनी ने ₹436.30 करोड की अनुमानित लागत के पश्चिम इलाहाबाद शाखा नहर के परतीकरण, क्रास रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर के निर्माण–विस्तार एवं पुलों के मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्य प्रगति पर है और लगभग 288 किलोमीटर में से 138 किलोमीटर लाइनिंग का काम पूरा हो चुका है।

आपकी कंपनी ने बिधनू कस्बा के निकट बिधनू नहर से घाटमपुर ताप विद्युत संयंत्र जलाशय से 80 क्यूसेक पानी की आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम (उ.प्र.ज.नि.) के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मैसर्स उ.प्र.ज.नि. ने जलवाहक प्रणाली कार्यों के ईपीसी अनुबंध के लिए मैसर्स एल एंड टी निर्माण कंपनी को 26.10.2017 को 18 महीने की समय–सारणी के साथ कार्य आदेश जारी किया है। 06.12.2018 को बिधनू नहर से घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट तक एनएच–86 के बगल में पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति (आरईसी), एमओईएफ और सीसी, जीओआई द्वारा वन मंजूरी जारी की गई है। उक्त पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है और 89.20 किलोमीटर में से 88.30 किलोमीटर पाइप बिछाने का काम पूरा हो चुका है। बिधनू साइट पर पंप हाउस और हेड का काम पूरा हो चुका है।

बिजली आवंटन

जैसा कि पिछले प्रतिवेदनों में उल्लिखित है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने घाटमपुर विद्युत परियोजना से 75 प्रतिशत बिजली खरीदने के लिए बिजली क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घाटमपुर विद्युत परियोजना से शेष 25 प्रतिशत बिजली खरीदने की स्वीकृति प्रदान की है, बशर्ते कंपनी घरेलू कोयले का उपयोग कर बिजली की आपूर्ति करे और उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र के माध्यम से बिजली शेड्यूलिंग के लिए स्वीकार करे। कंपनी उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र के माध्यम से घरेलू कोयले और बिजली शेड्यूलिंग का उपयोग करने के लिए सहमत हो गई है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने, 136.32 मेगावाट को असिंचित हिस्से के रूप में छोड़ कर, उत्तर प्रदेश राज्य को 1843.68 मेगावाट आवंटित की है। तदनुसार, यूपीपीसीएल को मौजूदा पीपीए में उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। यूपीपीसीएल ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) में जीटीपीपी से शेष बिजली प्राप्त करने और मौजूदा पीपीए में संशोधन पर हस्ताक्षर करने के लिए याचिका दायर की है और उसी की सुनवाई यूपीईआरसी के पास लंबित है।

कोयला लिंकेज (पछवारा दक्षिण कोयला खंड)

जैसा कि पिछले प्रतिवेदनों में उल्लिखित है, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने झारखण्ड राज्य के पछवारा दक्षिण कोयला खंड (पीएससीबी), जिसमें 354 मिलियन टन शुद्ध भूगर्भीय कोयला का भंडार है, को आपकी कंपनी को आवंटित कर दिया है। उक्त ब्लॉक के कोयले को जी.टी.पी.पी के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। आपकी कंपनी ने पछवारा दक्षिण कोयला खंड के संबंध में 22.02.2017 को भारत सरकार के साथ एक कोल ब्लॉक डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। एम.आई.पी.एल.–जी.सी.एल इन्फ्राकंट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद को पछवारा साउथ कोल ब्लॉक के लिए कोयला खदान विकास और संचालन के काम के लिए ₹21,228.96 करोड़ के मूल्यांकन मूल्य (जीएसटी और डीजल सहित) पर कार्य आदेश जारी किया गया है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति

आपकी कंपनी ने प्रमुख पैकेजों जैसे स्टीम जेनरेटर पैकेज (जीए 1), टर्बाइन जनरेटर पैकेज (जीए 2), बैलेंस ऑफ प्लांट पैकेज (जीए 3) और रेलवे साइडिंग कार्य के लिए अनुमति पत्र जारी किया है। पैकेज ठेकेदारों

ने अक्टूबर 2016 से निर्माण गतिविधियों की शुरुआत की है और यह प्रगति पर है। फ्लू गैस डी–सल्फुराइजेशन प्लांट पैकेज (जीए –4) के लिए एक जीसीबी (घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली) निविदा प्रक्रिया में है।

निर्माण बिजली की आपूर्ति, निर्माण जल आपूर्ति कार्य और अन्य अवसंरचनात्मक कार्य जैसे एप्रोच रोड, पूर्वनिर्मित आवास, पूर्वनिर्मित हॉस्टल, अतिथि गृह, प्रशासनिक कार्यालय भवन, द्वार परिसर, गोदाम, जलपान गृह, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, सीआईएसएफ बैरक, संयंत्र की चारदीवारी का निर्माण पूरी परियोजना के अधिग्रहीत भूमि क्षेत्र, वृक्षारोपण और मनोरंजन क्लब, सभागार, खेलकूद संकुल, प्रशिक्षण केंद्र, सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन, खरीदारी संकुल जैसे विभिन्न गैर–आवासीय भवनों के निर्माण पूरा हो गया है। स्थायी आवास का निर्माण, अस्पताल निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। कर्मचारियों के स्थायी आवास में चरणबद्ध तरीके से काम चल रहा है। 31.07.2020 को, 66.46% के लक्ष्य के मुकाबले जीटीपीपी के लिए हासिल की गई कुल भौतिक प्रगति 59.64% थी और प्राप्त की गई कुल वित्तीय प्रगति 61.68% के लक्ष्य के मुकाबले 56.39%: थी। वर्ष के दौरान, बस्ती में सामुदायिक भवन, खरीदारी संकुल, प्रशिक्षण केंद्र, पूर्वनिर्मित आवास, स्थायी टाइप–II आवास भवनों का उद्घाटन किया गया और जीटीपीपी और एनयूपीपीएल गेस्ट हाउस में औद्योगिक जलपान गृह मैसर्स आईसीडब्ल्यूसीएस द्वारा शुरू किया गया।

पछवारा दक्षिण कोयला खंड में कोयले की गुणवत्ता और मात्रा के विस्तृत मूल्यांकन के लिए खोजपूर्ण ड्रिलिंग को 11,510 मीटर की 53 बोरहोल ड्रिलिंग करके पूरा किया गया है और कोयला मंत्रालय को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट, खनन योजना और खदान बंद करने की योजना सौंपी गई है। निर्माण सर्वेक्षण और स्थल सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

वर्ष 2019–20 के दौरान उपलब्धियां

1. जीए–1 (स्टीम जेनरेटर और सहायक) पैकेज, यूनिट –2 बॉयलर सीलिंग गर्डर जैक गतिविधियों और यूनिट –1 बॉयलर हाइड्रो टेस्ट क्रमशः 02.04.2019 और 06.01.2020 को पूरा हुआ।
2. जीए –2 (टर्बाइन जेनरेटर और सहायक) पैकेज, यूनिट –1 टीजी बॉक्स अप और यूनिट –2 टीजी डेक कास्टिंग क्रमशः 21.11.2019 और 16.12.2019 को पूरा हो गया है।
3. जीए–3 (प्लांट का बैलेंस) पैकेज में, चिमनी शेल कार्य (ई.एल+269 मीटर) 20.10.2019 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
4. पछवारा दक्षिण कोयला खंड में, 11.12.2019 को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को सौंप दी गई है।
5. रेलवे साइडिंग में, ट्रैक बिछाने का काम 01.02.2020 को शुरू हुआ।
6. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को 03.02.2020 पर जीटीपीपी साइट पर शामिल किया गया।
7. सप फिको मॉड्यूल को 02.05.2019 को लागू किया गया था।

पूँजी संरचना

31 मार्च 2020 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 305,73,88,800 इक्विटी शेयर हैं जिसमें एक शेयर की कीमत ₹10/– के हिसाब से कुल ₹3057.39 करोड़ है, जिसमें प्रोमोटरों– यानी एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एन.एल.सी.आई.एल) तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल) की हिस्सेदारी क्रमशः 51:49 के अनुपात में थी।

वित्तीय विवरण

31.03.2020 को मुख्य वित्तीय विवरण निम्नानुसार है –

₹ लाख में

	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित - पुनःवर्णित
परिसंपतियाँ		
गैर – चालू परिसंपत्तियाँ		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	40,822.68	26,804.51
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	15.55	-
पूंजी कार्य प्रगति में	8,43,673.45	5,00,184.28
अन्य गैर – चालू परिसंपत्तियाँ	38,326.52	42,357.86
चालू परिसंपत्तियां :		
वित्तीय परिसंपत्तियां	5,525.53	20,920.34
अन्य चालू परिसंपत्तियां	2,722.04	476.30
कुल	**9,31,085.77**	**5,90,743.29**
ईक्विटी और देयताएँ		
शेयर पूंजी	3,05,738.88	1,69,303.68
रिजर्व एवं अधिशेष	(975.42)	(847.20)
गैर चालू देयताएँ	5,17,785.56	3,19,836.11
चालू देयताएँ	1,08,536.75	1,02,450.70
कुल	**9,31,085.77**	**5,90,743.29**

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा कमाई तथा बहिष्कार और अनुसंधान और विकास का संरक्षण

लागू नहीं, क्योंकि परियोजना अभी निर्माणाधीन है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान पैकेज ठेकेदारों और परियोजना परामर्श अनुबंध के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा व्यय ₹13570.76 लाख रुपये था।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी एक अनुमोदित जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण प्रक्रिया से युक्त है। शमन उपायों के साथ अनुमानित व संभावित जोखिमों की समय–समय पर बोर्ड द्वारा समीक्षा की जा रही है।

निगमित समाजिक दायित्व (सीएसआर)

आपकी कंपनी, एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, आसपास के गांवों में विकासात्मक कार्यों को जारी रखने के लिए, समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए ऑपरेटिंग क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में, आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन किया है। बोर्ड की सीएसआर समिति, सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी कर रही है। आपकी कंपनी ने स्थायी सामाजिक–आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति को अपनाया है। नीति कंपनी की वेबसाइट https://nuppl.co.in/wp-content/uploads/2019/06/CSR-Policy.pdf पर उपलब्ध है।

चूंकि परियोजना निर्माण चरण में है, कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 8 के साथ कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 की धारा 135 के प्रावधानों के अधीन सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन जीटीपीपी के लिए एमओईएफ और सीसी द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों का पालन करने के लिए, कंपनी को परियोजना के निर्माण चरण के दौरान पूंजी लागत के रूप में परियोजना की पूंजीगत लागत का क्रमशः 0.4 प्रतिशत और 0.08 प्रतिशत प्रति आवर्ती लागत संयंत्र के संचालन तक सीएसआर गतिविधियों की ओर खर्च करने की आवश्यकता होती है। सीएसआर/सामुदायिक विकास गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक –1 में प्रस्तुत की गयी है।

प्रबंधन विचार–विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट एवं निगमित अभिशासन

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोट अनुलग्नक 2 में दी गई है। निगमित अभिशासन पर डीपीई के तहत निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार निगमित अभिशासन के अनुपालन में निगमित अभिशासन रिपोर्ट लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ अनुलग्नक 3 व 4 में दी गयी है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) के तहत अपेक्षित कर्मचारियों का विवरण :– शून्य

ऋण,गारंटी तथा निवेश

कंपनी ने 2019–20 के दौरान कोई ऋण अथवा गारंटी नहीं दी है और न ही कोई निवेश किया है।

संचित निधि–अंतरण

संयंत्र अभी निमार्णधीन है अतः वर्ष 2019–20 के दौरान कोई राशि सामान्य संचय में स्थानांतरित नहीं की गई है।

जमाएँ

कंपनी ने आम जनता से काई भी जमा स्वीकार नहीं की है।

वित्तीय विवरण और निदेशकों को रिपोर्ट की दिनांकों के बीच घटनेवाली वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले मूर्त परिवर्तन

वित्तीय विवरण के और निदेशकों की रिपोर्ट की तिथियों के बीच में वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई मूर्त परिवर्तन नहीं हुआ।

कोविड–19 का प्रभाव

कोविड–19 महामारी दुनिया भर में फैल गई है और इसने व्यवसाय संचालन में बड़े पैमाने पर नकारात्मक व्यवधान पैदा किए हैं। आपकी कंपनी घाटमपुर तहसील, उत्तर प्रदेश में 3 x 660 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट स्थापित कर रही है। मार्च 2020 के महीने में भारत सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण, बड़ी संख्या में अंतर–राज्य प्रवासी श्रमिकों ने निर्माण स्थल छोड़ दिया है। निर्माण गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हुई और इसलिए इकाइयों के चालू होने में और भी देरी हो रही है। श्रमिकों को साइट पर वापस लाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

आपकी कंपनी ने कार्यालय और निर्माण स्थलों पर कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती हैं। लॉक डाउन के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित होने वाली आस पास की आबादी को मदद करने के लिए और एक सामाजिक उपाय के रूप में, आपकी कंपनी ने मास्क, किराने का सामान और सैनीटाईजर जैसी राहत सामग्री प्रदान की है।

कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न

इस कंपनी में कर्मचारी, मुख्य कंपनी, एनएलसी. इंड़िया लिमिटेड द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाते हैं जहाँ कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीडन संबंधी मामलों की देख–रेख के लिए एक अलग समिति गठित है।

वार्षिक विवरणी का सार

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के संदर्भ में अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 538 (ई) दिनांक 28 अगस्त, 2020, वार्षिक रिटर्न की प्रति वर्ष 2018–19 के लिए https://nuppl.co.in/wp-content/uploads/2020/09/AR-18-19.pdf पर उपलब्ध है।. वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक विवरणी का सार भी उसी वेबलिंक में उपलब्ध है।

सांविधिक लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी की सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए सेठ एंड एसोसिएट, सनदी लेखाकार, लखनऊ को नियुक्ति किया। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा – शुल्क के रूप में ₹1,20,000/- (रू. एक लाख बीस हजार मात्र) लागू कर सहित निर्धारित की। इसके अतिरिक्त खर्च की गई वास्तविक धनराशि की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया।

आंतरिक लेखा परीक्षा

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए मेसर्स पेट्रो एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, भुवनेश्वर, को कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के लिए नियुक्ति किया गया।

सचिवीय लेखा परीक्षा

सीएस गुंजन गोयल, पेशेवर कंपनी सचिव, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सचिवालय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा और सचिवालय लेखा परीक्षक के अवलोकनों के उत्तर अनुलग्नक – 5 में दिए गए हैं।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वक्तव्य

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ अनुलग्नक – 6 में प्रस्तुत की गयी हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(सी) के तहत निदेशकों का दायित्व–विषयक वक्तव्य

निदेशक मंडल घोषणा करते है कि:-

1. वार्षिक लेखों की तैयारी करते समय लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है, साथ ही साथ सामग्री के अंतरण के विषय में उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है।
2. निदेशकों ने ऐसी लेखा–नीतियों का चयन किया है, जो तर्क संगत हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निर्णय एवं अनुमान प्रस्तुतीकरण में कंपनी की उक्त अवधि के दौरान लाभ एवं हानि सटीक एवं उचित दृष्टिकोण को सामने लाया जा सकें ।
3. निदेशकों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रख–रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी अपनायी है।
4. निदेशकों ने वार्षिक लेखों की तैयारी विद्यमान प्रचलित पद्धति के आधार पर की है।
5. निदेशकों ने समुचित प्रणाली पर बल दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लागू कानूनों के तहत प्रणाली पर्याप्त एवं समुचित रूप से प्रभावी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सीए) के अनुसार प्रकटीकरण

विवरण के साथ धोखाधड़ी की प्रकृति: रजिस्ट्री दस्तावेजों के साथ भूमि अधिग्रहण लेन–देन के सामंजस्य के दौरान संदिग्ध धोखाधड़ी लेनदेन के दो उदाहरणों की पहचान की गई थी। शामिल राशि क्रमशः प्रत्येक मामले में ₹8.53 लाख और ₹21.11 लाख है। इन राशियों को वर्तमान में अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

सुधारात्मक कार्रवाई: संबंधित कार्यकारिणी को निलंबित कर दिया गया है और प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक विभागीय टीम और बाहरी फॉरेंसिक ऑडिटर द्वारा आगे की जांच जारी है और कंपनी भविष्य में इस तरह के फर्जी लेन–देन को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

निदेशक मंडल एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री बिद्या सागर तिवारी (डीआईएन: 07324713) ने 01.07.2019 से कंपनी के निदेशक के रूप में पद छोड़ दिया और श्री अजीत कुमार तिवारी, (डीआईएन: 08544397), निदेशक (तकनीकी) / यूपीआरवीयूएनएल को 23.08.2019 के प्रभाव से एक अपर निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल किया गया।

श्री नडेला नागा महेश्वर राव (डीआईएन: 08148117) निदेशक (योजना और परियोजनाएं) / एनएलसीआईएल ने 07.02.2020 के प्रभाव से कंपनी के निदेशक के रूप में पद छोड़ दिया और श्री जयकुमार श्रीनिवासन (डीआईएन: 01220828) निदेशक (वित्त) / एनएलसीआईएल को 07.02.2020 के प्रभाव से एक अपर निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल किया गया।

कोयला मंत्रालय पत्र संख्या 21/3/2011– एएसओ/बीए दिनांक 22.07.2020 के अनुसार, श्री नरेंद्र कुमार सिंह (डीआईएन: 08336618), पूर्व उप सचिव, कोयला मंत्रालय ने 22.07.2020 से प्रभावी रूप से कंपनी के निदेशक के रूप में पद छोड़ दिया, और श्री रजनीश क्वात्रा, उप सचिव, कोयला मंत्रालय को 30.07.2020 के प्रभाव से एक अपर निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल किया गया।

श्री सुबीर चक्रवर्ती (डीआईएन: 07942416) ने यूपीआरवीयूएनएल में निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति पर 14.08.2020 के प्रभाव से कंपनी के निदेशक के रूप में पद छोड़ दिया और श्री बिभू प्रसाद महापात्रा, (डीआईएन: 01368109), निदेशक (वित्त)/यूपीआरवीयूएनएल को 21.08.2020 के प्रभाव से एक अपर निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल किया गया।

श्री कौशल किशोर आनंद ने 23.12.2019 से कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद छोड़ दिया है और श्री मोहन रेड्डी के को 23.12.2019 से कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

निदेशक मंडल, श्री बिद्या सागर तिवारी, श्री नडेला नागा महेश्वर राव, श्री नरेंद्र कुमार सिंह और श्री सुबीर चक्रवर्ती द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए प्रशंसा दर्ज करता है। निदेशक मंडल, श्री कौशल किशोर आनंद द्वारा कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए प्रशंसा दर्ज करता है।

श्री शाजी जॉन (डीआईएन: 08418401), निदेशक अगामी वार्षिक आम बैठक में क्रमानुसार सेवानिवृत हो रहे है और पुनः नियुक्ति के पात्र हैं।

अभिस्वीकृति

उत्तर प्रदेश राज्य के कोयला मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार, एनएलसी. इण्डिया लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड के सतत सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए आपकी कंपनी का निदेशक मंडल उनकी हार्दिक प्रशंसा करता है। कानपुर, लखनऊ एवं दुमका तहसील के जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, भूमि अधिग्रहण विभाग, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश पावर निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन निगम लिमिटेड सि.एम.पी.डी.आई.एल राँची, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित वैधानिक प्राधिकरण तथा घाटमपुर की जनता के सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु कंपनी का निदेशक मंडल उनका आभारी है। अपना सतत सहयोग एवं समर्थन देने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षकों का इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है और उनके प्रति निदेशक मंडल सराहना एवं साधुवाद देता है। निदेशक मंडल कंपनी के सभी स्तरों के कर्मचारियों के तत्परतापूर्ण सहयोग के लिए उनको सराहना व साधुवाद देता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: नेयवेली
दिनांक: 28.09.2020

राकेश कुमार
अध्यक्ष

अनुलग्नक – 1

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) रिपोर्ट

(अधिनियम की धारा 134 और कंपनियों के नियम 8 (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 की उपधारा (3) का खंड (ओ) के अनुसार)

1. कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूप रेखा, जिसमें परियोजना या कार्यक्रमों के अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब–लिंक का संदर्भ शामिल है।

- एनयूपीपीएल की दूरदर्शिता उत्तर प्रदेश राज्य में एक अग्रणी विद्युत कंपनी के रूप में उभरने और सामाजिक रूप से उत्तरदायी बने रहने की है।
- एनयूपीपीएल का लक्ष्य समाज में सक्रिय भूमिका निभाना और उभरते पर्यावरण के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना है।
- एनयूपीपीएल की सीएसआर गतिविधियाँ सतत विकास और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे आसपास के समुदायों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होती हैं।
- एनयूपीपीएल का उद्देश्य सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में भौतिक, वित्तीय, पर्यावरणीय और सामाजिक क्षेत्रों में कंपनी के सर्वांगीण विकास के लिए उचित रणनीति अपनाना है।
- एनयूपीपीएल ने एक सीएसआर नीति अपनाई है जिसके तहत नई/चल रही सीएसआर परियोजनाएं/कार्यक्रम/गतिविधियां शुरू की गई हैं। यह वेबसाइट https://nuppl.co.in/wp-content/uploads/2019/06/CSR-Policy.pdf पर उपलब्ध है।
- स्थानीय राज्यों और देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में सहायता करना जिसमें एनयूपीपीएल संचालित होता है।
- एनयूपीपीएल का सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में गणना के अनुसार विकास के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देता है। मुख्य क्षेत्र हैं:
  - स्वास्थ्य और स्वच्छता
  - शिक्षा
  - रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल
  - खेल
  - सड़क और पहुंच के लिए ग्रामीण विकास परियोजनाएँ, सिंचाई और समग्र सामुदायिक विकास के लिए जल संसाधन वृद्धि।

2. 31.03.2020 को सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार थी:

सदस्य का नाम	पदनाम
श्री शाजी जॉन	अध्यक्ष
श्री जयकुमार श्रीनिवासन	सदस्य
श्री अजीत कुमार तिवारी	सदस्य

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों से कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2016–17, 2017–18, और 2018–19 में और लाभ/हानि ₹62.15 लाख है।

4. निर्धारित सीएसआर व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹1.24 लाख खर्च करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, जीटीपीपी के लिए एमओईएफ और सीसी द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों का पालन करने के लिए, कंपनी को परियोजना के निर्माण चरण के दौरान पूंजी लागत के रूप में परियोजना की पूंजीगत लागत का क्रमशः 0.4 प्रतिशत और 0.08 प्रतिशत प्रति आवर्ती लागत संयंत्र के संचालन तक सीएसआर गतिविधियों की ओर खर्च करने की आवश्यकता होती है।

5. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर पर खर्च का विवरण

अ. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि : ₹1.24 लाख

इसके अलावा, जीटीपीपी के लिए एमओईएफ और सीसी द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों का पालन करने के लिए, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹995.31 लाख खर्च किए हैं।

आ. खर्च न की गई राशि (यदि कोई हो) : कोई नहीं

इ. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का तरीका नीचे विस्तृत दी गई है:

₹ लाख में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. स.	पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाओं या कार्यक्रमों (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम किए गए थे	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप–प्रमुखों: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्सः	समीक्षाधीन अवधि तक संचयी व्यय	राशि खर्चः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	80 हाथ पंपों की स्थापना	सुरक्षित पेयजल आपूर्ति	घाटमपुर तहसील (स्थानीय)	8.27	8.27	8.27	
2	रेलवे शौचालय निर्माण	स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाएं	उत्तर भारत	800.67	800.67	800.67	
3	आई.ए.एच.वी के साथ परियोजना प्रभावित गांवों का प्रशिक्षण	कौशल विकास	घाटमपुर तहसील (स्थानीय)	3.02	3.02	3.02	
4	बिठूर महोत्सव	सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना	बिठूर	2.4	2.4	2.4	
5	5 आर.ओ संयंत्रों की स्थापना	सुरक्षित पेयजल आपूर्ति	मिर्जापुर	14.42	14.42	14.42	
6	1000 एल.पी.एच आर.ओ वाटर प्यूरीफायर	सुरक्षित पेयजल आपूर्ति	वाराणसी	72.21	72.21	72.21	प्रत्यक्ष
7	एम्बुलेंस और मोबाइल हेल्थ केयर	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	घाटमपुर तहसील (स्थानीय)	18.32	18.32	18.32	
8	ओवरहेड पानी की टंकियों के लिए जल वितरण पाइपलाइन की स्थापना	सुरक्षित पेयजल आपूर्ति	घाटमपुर तहसील (स्थानीय)	3.68	3.68	3.68	
9	तहसील को 10 केवी डीजी सेट	स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाएं	घाटमपुर तहसील (स्थानीय)	1.89	1.89	1.89	
10	जल निकायों का नवीनीकरण	पारिस्थितिकी संतुलन	घाटमपुर तहसील (स्थानीय)	3.66	3.66	3.66	

11	सामुदायिक केंद्र का निर्माण	ग्रामीण विकास	कानपुर नगर	65.77	65.77	65.77	
12	बाढ़ के समय फूड पैक का वितरण	राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	हमीरपुर	0.11	0.11	0.11	
13	कोविड–19 के लिए व्यय	राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	घाटमपुर / कानपुर	0.89	0.89	0.89	
		कुल		**995.31**	**995.31**	**995.31**	

6. पिछले तीन वित्तीय वर्षों अथवा आंशिक अवधि के दौरान औसत शुद्ध लाभ के 02 प्रतिशत से कम खर्च न कर पाने की स्थिति में कंपनी को किसी रिपोर्ट में राशि खर्च न कर पाने का कारण बताना चाहिए।

लागू नहीं।

7. कंपनी की सीएसआर नीति विषयक कार्यान्वयन एवं निगरानी सीएसआर उद्देश्यों एवं कंपनी की नीतियों के अनुरूप है, तद्विषयक उत्तरदायित्व वक्तव्य कंपनी की सीएसआर नीति के उद्देश्यों का अनुपालन करते हुए ही बनाई जाएगी।

सीएसआर समिति का जिम्मेदारी विवरण नीचे दिया गया है:

सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर उद्देश्य और एनयूपीपीएल की नीति के अनुपालन में है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी **अध्यक्ष/सीएसआर समिति**

अनुलग्नक – 2

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

औद्योगिक संरचना और विकास

विद्युत उद्योग

हमारे जीवन के सभी पहलुओं के लिए बिजली एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसे एक मूलभूत मानवीय आवश्यकता के रूप में मान्यता दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण मूलभूत संरचना है जिस पर देश का सामाजिक–आर्थिक विकास निर्भर करता है। ग्रामीण भारत के संपूर्ण विकास के लिए उचित दर से बिजली की आपूर्ति अनिवार्य है। द्रुत आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण चालकों में से एक के रूप में बिजली को मान्यता देते हुए, राष्ट्र ने अगले पांच वर्षों में सभी घरों तक बिजली प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।

बिजली उद्योग पूंजी प्रधान है जिसमें लंबी उत्पादन पूर्व अवधि होती है। बिजली उत्पादन के संसाधन देश में असमान रूप से फैले हुए हैं। बिजली ऐसा उत्पाद है जिसे ग्रिड में संग्रहीत नहीं किया जा सकता जहाँ माँग और आपूर्ति को लगातार संतुलित करना पड़ता है। देश की व्यापक रूप से वितरित और तेजी से बढ़ती हुई मांग को एक सर्वोत्तम तरीके से पूरा करने की आवश्यकता है।

1.4 बिलियन की आबादी और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के साथ, भारत वैश्विक ऊर्जा बाजारों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत सरकार ने हाल ही के वर्षों में बिजली और स्वच्छ खाना पकाने के लिए नागरिकों की पहुंच के क्षेत्र में प्रभावशाली प्रगति की है। सरकार ने ऊर्जा बाजार में सुधारों की एक श्रृंखला को सफलतापूर्वक लागू किया है और विशेष रूप से सौर ऊर्जा में नवीकरणीय बिजली की भारी मात्रा में तैनाती की है। आगे की सोचते हुए, सरकार ने अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा प्रदान करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस गहन समीक्षा का उद्देश्य ऊर्जा प्रणाली परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा सामर्थ्य पर ध्यान देते हुए प्रत्येक क्षेत्र में सिफारिशों की एक श्रेणी निर्धारित करके, अपने ऊर्जा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में सरकार की सहायता करने का लक्ष्य रखती है।

भारत में पहले कभी बिजली क्षेत्र में इस तरह तेजी से विकास नहीं हुआ है। मार्च 2020 तक 3,70,106 मेगावाट की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के साथ, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है। इसके अलावा, 2017–2022 की अवधि के लिए पारंपरिक स्रोतों से 58,384 मेगावाट की कुल क्षमता की परिकल्पना की गई है, जिसमें 47,855 मेगावाट के कोयला–आधारित बिजली स्टेशन, 406 मेगावाट के गैस–आधारित बिजली स्टेशन, 6,823 मेगावाट के हाइड्रो पावर स्टेशन और 3,300 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा, वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट की अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अधिक बल दिया गया है।

अक्षय ऊर्जा तेजी से भारत में विद्युत के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभर रही है। पवन ऊर्जा भारत में अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जो कुल स्थापित क्षमता (62.85 गीगावॉट) का 52.27 प्रतिशत है। 2022 तक पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 60 गीगावॉट करने की योजना है। भारत का अक्षय ऊर्जा लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। इसका उद्देश्य मार्च 2022 तक 175 गीगावॉट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना है, जिसमें 100 गीगावॉट सौर से, 60 गीगावॉट पवन से और 15 गीगावॉट अन्य स्रोतों से आएगा। भारत की केंद्र सरकार 2022 तक सौर छत परियोजनाओं के माध्यम से 40 गीगावाट (गी.वा.) बिजली उत्पादन के अपने लक्ष्य का समर्थन करने के लिए 'किराए की छत' नीति तैयार कर रही है। भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

मार्च 2019 तक सभी के लिए 24X7 सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली सुनिश्चित करने के भारत सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ई.ई.एस.एल) द्वारा भारत में उपभोक्ताओं के लिए 280 मिलियन से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए, जो कि सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नति ज्योति योजना (उजाला) के तहत हैं। भारत सरकार विद्युत क्षेत्र में विकास के लिए सहायक रही है।

कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव

भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूदा मंदी से देश का विद्युत क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इससे न केवल बिजली की खपत में गिरावट आई है, बल्कि उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री की आपूर्ति पर असर पड़ा है, जिससे परियोजना में देरी होगी और इस तरह समय और लागत अधिक हो जाएगी। यह विद्युत उत्पादकों और वितरण कंपनियों के वित्तीय तनाव को भी बढ़ाता है। इस प्रभाव की गंभीरता कुछ वर्षों तक रहेगी और पूर्व कोविड–19 स्तरों पर लौटने में समय लगेगा।

कोयला

कोयला भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है। इससे देश की ऊर्जा जरूरत का 55% हिस्सा बनता है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बाद कोयले के दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। भारत में ऊर्जा मिश्रण और बिजली मिश्रण दोनों में कोयले की हिस्सेदारी 1970 से बढ़ रही है और 2017 में कोयले ने कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति (टीपीईएस) का 44% और बिजली उत्पादन का 74% प्रदान किया।

देश के कोयला भंडार का लगभग 70% झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य में है। कोयले का उत्पादन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में उपलब्ध खानों से भी होता है। 01.04.2019 को, भारत में कोयले का कुल अनुमानित भंडार 326.495 बीटी था, जिसमें से जिसमें से सिद्ध श्रेणी 155.614 बीटी था।

01.04.2019 के अनुसार कोयला संसाधनों का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	मापित	सूचित	अनुमानित	कुल	%
अरुणाचल प्रदेश	31.23	40.11	18.89	90.23	0.03
असम	464.78	57.21	3.02	525.01	0.16
बिहार	309.53	1513.01	11.3	1833.84	0.56
छत्तीसगढ़	21446.29	36259.57	2201.9	59907.76	18.35
झारखंड	48031.93	30400.13	6073.9	84505.96	25.88
मध्य प्रदेश	12182.45	12735.98	3874.67	28793.1	8.82
महाराष्ट्र	7573.2	3257.37	1846.59	12677.16	3.88
मेघालय	89.04	16.51	470.93	576.48	0.18
नगालैंड	8.76	21.83	415.83	446.42	0.14
ओडिशा	39654.47	33472.75	7713.12	80840.34	24.76
सिक्किम	0	58.25	42.98	101.23	0.03
उत्तर प्रदेश	884.04	177.76	0	1061.8	0.33
आंध्र प्रदेश	97.12	1078.44	431.65	1607.21	0.49
पश्चिम बंगाल	14219.25	12846.87	4624.03	31690.15	9.71
तेलंगाना	10622.32	8564.74	2651.88	21838.94	6.69
कुल	**155614.41**	**140500.5**	**30380.69**	**326495.63**	**100.00**

(स्रोत: भारतीय कोयला और लिग्नाइट संसाधन सूची – 2019 जीएसआई द्वारा)

बल

- प्रवर्तक कंपनियाँ एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) की अच्छी वित्तीय स्थिति।
- प्रवर्तक कंपनियों के पास खदानों तथा तापविद्युत संयंत्रों के संचालन में समृद्ध अनुभव है।
- झारखंड राज्य में पछवारा दक्षिण कोयला खंड की उपलब्धता।
- ऋण के माध्यम से मिलने वाले धन व्यवस्था के प्रमुख भाग की व्यवस्था।
- कर्मचारियों के अनुकूल मानव संसाधन नीतियों के साथ अत्यधिक प्रेरित और समर्पित कार्यकर्त्ता और अधिकारी।
- सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध।

कमजोरियाँ

- फ्ल्यू गैस–डिसल्फराइजेशन निविदा को अंतिम रूप देने में देरी।
- बैलेंस ऑफ प्लांट (बीओपी) पैकेज कार्यों में देरी।
- उत्तर प्रदेश राज्य में टैरिफ का कम योग्यता क्रम।

अवसर

- विद्युत क्षेत्र के उद्योगों को विभिन्न रियायतें/राहतें देने के लिए सरकार का पहल, परिकल्पित आर्थिक विकास दर को प्राप्त करने के लिए विद्युत उत्पादन में तेजी लाती हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा और पावर संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से ऊर्जा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा जोर।
- भारत सरकार की अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उच्च बिजली की खपत के माध्यम से प्रतिबद्धता।
- प्रति व्यक्ति की बिजली की खपत में वृद्धि।
- पावर ट्रेडिंग।
- जीटीपीपी द्वारा उत्पन्न फ्लाई ऐश का उपयोग करके सीमेंट संयंत्र की स्थापना।

चुनौतियाँ

- शेष 25% बिजली के लिए बिजली खरीद करार पर हस्ताक्षर होना बाकी है।
- खनन खंड से आदिवासी लोगों का पुनर्वास और पुनःस्थापन।
- नवीकरणीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्षमता वृद्धि योजनाओं को देखते हुए, सीईए ने, अपने ड्राफ्ट राष्ट्रीय विद्युत योजना में अनुमान लगाया है कि, 2017–22 में नए कोयला–आधारित विद्युत संयंत्रों कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- निजी विद्युत उत्पादकों से बढ़ी प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप अत्यधिक प्रतिस्पर्धी टैरिफ दर।
- नियामकों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले कठोर प्रदूषण नियंत्रण मानदंड परियोजना लागत और बिजली परियोजनाओं की परिचालन लागत में वृद्धि करते हैं।

- भूमि अधिग्रहण की बढ़ती लागत (सामाजिक और आर्थिक दोनों) परियोजनाओं में देरी कर सकती है और बिजली परियोजनाओं की परिचालन लागत को भी प्रभावित कर सकती है।
- खनन उद्देश्य के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए वन विभाग के कड़े कानून।
- राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण माल संचलन, सेवाओं और जनशक्ति पर प्रतिबंध के कारण आपूर्ति श्रृंखला के विघटन पर कोविड–19 का प्रभाव।

खण्डवार निष्पादन

कंपनी बहुखण्ड कंपनी नहीं है।

कंपनी का दृष्टिकोण

आपकी कंपनी उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर जिले के घाटमपुर तहसील में 1980 मे.वा. (3X660 मे.वा.) कोयला आधारित घाटमपुर ताप विद्युत संयंत्र (जीटीपीपी) की स्थापना कर रही है। भारत सरकार ने दिनांक 27.07.2016 को परियोजना के लिए ₹17,237.80 करोड़ रुपये के संशोधित पूंजी व्यय पर दिसंबर 2015 की आधार तिथि के साथ मंजूरी दे दी है तथा परियोजना पूरा करने का निर्धारित समय भारत सरकार की स्वीकृत तिथि से 52 महीने, 58 महीने और 64 महीने क्रमशः 660 मेगावाट की 1वां, 2वां और 3वीं इकाई के लिए है।

सभी प्रमुख पैकेज अनुबंधों को किया गया है। पैकेज ठेकेदारों ने अक्टूबर 2016 से निर्माण गतिविधियां शुरू कर दी हैं। सभी निर्माण गतिविधियां प्रगति पर हैं और पूरे जोरों पर हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान हासिल की गई पूंजीगत व्यय ₹4500 करोड़ के उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य के मुकाबले ₹3525.17 करोड़ थी।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने झारखण्ड राज्य के पछवारा दक्षिण कोयला खंड (पीएससीबी), जिसका मूल भंडार 305 एम.टी है, को घाटमपुर ताप विद्युत संयंत्र में कोयले का उपयोग करने के लिए कंपनी को आवंटित कर दिया है। आपकी कंपनी ने पछवारा दक्षिण कोयला खंड के विकास के संबंध में भारत सरकार के साथ कोल ब्लॉक डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट (सीबीडीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

एम.आई.पी.एल.–जी.सी.एल. इन्फ्राकंट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद को पछवारा दक्षिण कोयला खंड के लिए कोयला खदान विकास और संचालन के काम के लिए ₹21,228.96 करोड़ के मूल्यांकन मूल्य (जीएसटी और डीजल सहित) पर कार्य आदेश (एलओए) जारी किया गया है। इस बीच, घाटमपुर विद्युत परियोजना को, कोयला मंत्रालय से 3 साल (2020–2023) की अवधि के लिए ब्रिज कोल लिंकेज कोयले की मांग करते हुए एक प्रोफार्मा कोयला मंत्रालय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

जोखिम एवं चिंताएँ

- जीटीपीपी सीमा के अंदर निजी भूमि की गैर–अधिसूचित क्षेत्र और रेलवे साइडिंग वर्क्स और वाटर कैरियर सिस्टम के लिए अतिरिक्त भूमि का लंबित अधिग्रहण ।
- लिंक किए गए कोयला खंड के विकास तक कोयले की आपूर्ति के लिए बाहरी स्रोत पर निर्भरता।
- फ्ल्यू गैस–डिसल्फराइजेशन निविदा को अंतिम रूप देने में देरी।
- उत्तर प्रदेश राज्य में टैरिफ का कम योग्यता क्रम।
- शेष 25% बिजली के लिए बिजली खरीद करार पर हस्ताक्षर होना बाकी है।
- बैलेंस ऑफ प्लांट (बीओपी) पैकेज कार्यों में देरी।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा पर्याप्तता

आपकी कंपनी की सुव्यवस्थित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियायें हैं जो व्यापार के आकार और प्रकृति के अनुरूप प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल द्वारा अनुमोदित की गयी हैं। सनदी लेखाकारों के एक बाह्य संघ को सभी क्षेत्रों की सामायिक आंतरिक लेखा परीक्षा का दायित्व दिया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आकलन तथा वित्तीय सूचना प्रक्रिया का पालन करते हुए सामयिक विवरण की समीक्षा करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा पहले से ही लेखा परीक्षा समिति का गठन किया हुआ है। इसके अलावा, कंपनी के खाते लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा के अधीन हैं।

वित्तीय स्थिति पर चर्चा

मुख्य रिपोर्ट में शामिल है।

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों के मोर्चे में महत्त्वपूर्ण विकास तथा कार्यरत लोगों की संख्या

31.03.2020 तक 170 कर्मचारियों को मुख्य कंपनी एन.एल.सी.आई.एल द्वारा नियुक्त किया गया है। सत्र 2019–20 में औद्योगिक संबंध सोहार्दपूर्ण रहे हैं।

पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण, प्रौद्योगिक संरक्षण, अक्षय उर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

अभी परियोजना का आरंभ न होने कारण उपर्युक्त लागू नहीं होता।

निगमित सामाजिक दायित्व

मुख्य रिपोर्ट में शामिल है।

चेतावनीपूर्ण विवरण

प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण तथा निदेशकों की रिपोर्ट में कंपनी का बल, रणनीति, प्रक्षेपण और अनुमान के बारे में वर्णित विवरण, अग्रदर्शी है तथा उपयुक्त विधि तथा नियमों के अनुसार विकासोन्मुखी है। वासतिवक परिणाम, व्यक्त या उपयुक्त सभी आर्थिक दशाओं पर आधारित, सरकारी नीतियों तथा अन्य प्रासंगिक कारकों से भिन्न हो सकते हैं। पाठको को सचेत किया जाता है कि वे अग्रदर्शा वक्तव्यों पर अनुचित निर्भरता न रखें।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: नेयवेली
दिनांक: 28.09.2020

राकेश कुमार
अध्यक्ष

अनुलग्नक – 3

निगमित शासन की रिपोर्ट

निगमित शासन संहिता पर कंपनी का दर्शन

पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा सत्यनिष्ठा एक अच्छे निगमित शासन के मुख्य घटक है। आपकी कंपनी एक कार्पोरेट नागरिक के रूप में एक अच्छे कार्पोरेट मानकों को हू–ब–हू अपनाती है।

निदेशक मंडल

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल एक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करता है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार हैः

i.	एन.एल.सी.आई.एल. के प्रतिनिधि निदेशक	– 3
ii.	उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि. के प्रतिनिधि निदेशक	– 2
iii.	एम.ओ.सी. के सरकारी नामांकित प्रतिनिधि	– 1
iv.	स्वतंत्र निदेशक	– 3
	कुल	**09**

कंपनी के निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संरचना की पुष्टि नहीं कर रही है क्योंकि तीन स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के बोर्ड पर नियुक्त करने की आवश्यकता है। कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे को कोयला मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा गया है और नियुक्ति के लिए औपचारिक अधिसूचना की प्रतीक्षा है।

31.03.2020 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है–

i.	एन.एल.सी.आई.एल. के प्रतिनिधि निदेशक	– 3
ii.	उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि. के प्रतिनिधि निदेशक	– 2
iii.	एम.ओ.सी. के सरकारी नामांकित प्रतिनिधि	– 1
iv.	स्वतंत्र निदेशक	– 0
	कुल	**06**

31.03.2020 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल तथा अन्य विवरण निम्नानुसार है–

क्रम सं.	नाम सर्वश्री	दिनांक 31.03.2020 के अनुसार धारित अन्य निदेशक पद	दिनांक 31.03.2020 के अनुसार अन्य समिति सदस्यता*	
			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में
एन.एल.सी.आई.एल. के निदेशक प्रतिनिधि				
1	राकेश कुमार (डीआईएन: 02865335)	2	-	-
2	शाजी जॉन (डीआईएन: 08418401)	2	1	-
3	जयकुमार श्रीनिवासन (डीआईएन: 01220828)	2	2	-
उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि के निदेशक प्रतिनिधि				
4	सुबीर चक्रवर्ती (डीआईएन: 07942416)	4	-	-
5	अजीत कुमार तिवारी (डीआईएन: 08544397)	3	-	-
कोयला मंत्रालय के निदेशक प्रतिनिधि				
6	नरेंद्र कुमार सिंह (डीआईएन: 08336618)	0	-	-

* लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंधकारी समिति

कारोबार प्रबंधन और बोर्ड प्रक्रिया

कंपनी के दैनिक कारोबार और कंपनी के कार्यों का प्रबंधक मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष– जो बोर्ड का सदस्य नहीं है– द्वारा किया जाता है तथा इनके सभी कार्य निदेशक मंडल की अधीक्षणता, नियंत्रण एवं निदेश के अधीन है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निदेशक मंडल द्वारा कुछ प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों से परे किसी भी प्रस्ताव पर और विशेषकर किसी भी मुख्य निर्णय, यथा– उच्च महत्ववाली पूंजी खर्च, वार्षिक योजनाएँ, मुख्य ठेकों की मंजूरी, संसाधनों का गतिशीलन, ऋण और निवेश (अल्प अवधि निवेश के अलावा) उधार तथा सभी नीतिगत मामलों व सभी कर्मियों से संबंधित किसी भी मामले पर निदेशक मंडल की बैठक में ही निर्णय लिए जाते है।

बोर्ड की बैठकों की तिथियाँ और निदेशकों की हाजिरी

31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान नौ बार निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन किया गया– जिनकी तिथियॉ इस प्रकार है:–

24 अप्रैल, 2019, 10 मई, 2019, 26 जून, 2019, 3 अगस्त, 2019, 27 सितंबर, 2019, 24 अक्टूबर, 2019, 23 दिसंबर, 2019, 7 फरवरी, 2020 और 28 मार्च, 2020 .

2019–20 वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों में निदेशकों को उपस्थिति इस प्रकार रही –

नाम सर्वश्री	नौ बैठकों में कितनी बैठकों में भाग लिया गया	अभ्युक्ति
राकेश कुमार	9	
नाडेल्ला नाग महेश्वर राव	8	07.02.2020 को कार्यमुक्त
शाजी जॉन	9	17.04.2019 को कार्यभार संभाला
जयकुमार श्रीनिवासन	1	07.02.2020 को कार्यभार संभाला
बिद्या सागर तिवारी	3	01.07.2019 को कार्यमुक्त
सुबीर चक्रवर्ती	8	14.08.2020 को कार्यमुक्त
अजीत कुमार तिवारी	5	23.08.2019 को कार्यभार संभाला
नरेंद्र कुमार सिंह	5	22.07.2020 को कार्यमुक्त

आम बैठक उपस्थिति

श्री राकेश कुमार, अध्यक्ष, श्री नाडेल्ला नाग महेश्वर राव, श्री नरेंद्र कुमार सिंह, श्री सुबीर चक्रवर्ती, तत्कालीन निदेशक, और श्री शाजी जॉन, निदेशक, 3 अगस्त, 2019 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में शामिल हुए।

बोर्ड समितीयाँ

निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित उप–समितियाँ गठित की गयी हैं–

लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 एवं निगमित अभिशासन से संबंधित डीपीई दिशा निर्देशों के अनुरूप किया गया है। 31.03.2020 के अनुसार समिति की संरचना में तीन गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल थे। श्री जयकुमार श्रीनिवासन, निदेशक इसके अध्यक्ष और सर्वश्री शाजी जॉन और अजीत कुमार तिवारी, निदेशक, इसके सदस्य के रूप में शामिल थे।

2019–20 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की छः बैठकें आयोजित की गयीं हैं– जिनकी तिथियाँ इस प्रकार हैं– 10 मई, 2019, 26 जून, 2019, 3 अगस्त, 2019, 27 सितंबर, 2019, 24 अक्टूबर, 2019 और 7 फरवरी, 2020 बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

निदेशकों के नाम सर्वश्री	कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
नाडेल्ला नाग महेश्वर राव	6	6
शाजी जॉन	6	6
बिद्या सागर तिवारी	2	2
अजीत कुमार तिवारी	3	3

नोट – कंपनी सचिव ही लेखा परीक्षा समिति के सचिव हैं।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 और निगमित अभिशासन से संबंधित डीपीई दिशा निर्देशों के अनुरूप किया गया है। 31.03.2020 को समिति की संरचना में तीन गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल थे। श्री शाजी जॉन, निदेशक इसके अध्यक्ष और सर्वश्री जयकुमार श्रीनिवासन और अजीत कुमार तिवारी, निदेशक, इसके सदस्य के रूप में शामिल थे।

वर्ष 2019–20 के दौरान, 27 सितंबर, 2019 को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशकों के नाम सर्वश्री	कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
राकेश कुमार	1	1
शाजी जॉन	1	1
नाडेल्ला नाग महेश्वर राव	1	1
अजीत कुमार तिवारी	1	1

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 और निगमित अभिशासन से संबंधित डीपीई दिशा निर्देशों के अनुरूप किया गया है। 31.03.2020 के अनुसार समिति की संरचना में तीन गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल थे। श्री शाजी जॉन, निदेशक इसके अध्यक्ष और सर्वश्री जयकुमार श्रीनिवासन और अजीत कुमार तिवारी, निदेशक, इसके सदस्य के रूप में शामिल थे। स्वंतत्र निदेशक न होने के कारण समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार नहीं है। बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर समिति का उचित रूप से पुनर्गठन किया जाएगा। वर्तमान में एनएलसीआईएल के कर्मचारियों को कंपनी में स्थानांतरित और नियुक्त किया गया है और वे प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) के भुगतान–नियमों सहित एनएलसीआईएल में लागू सभी नियमों द्वारा शासित हैं। वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

निदेशकों का पारिश्रमिक

किसी भी अंशकालिक अधिकारिक निदेशक को कोई पारिश्रमिक/उपवेशन शुल्क अदा नहीं किया गया है।

आचार संहिता

निगमित अभिशासन के द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए उद्दिष्ट डीपीई दिशा निर्देशों के अनुरूप कंपनी के निदेशकों की आचार संहिता बनायी गयी है जो कंपनी के सभी बोर्ड–सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन–कार्मिकों पर लागू होती है। तदनुसार कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की घोषणा नीचे दी गई है।

''मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक जिनके लिए आचार संहिता लागू थी, ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए उपर्युक्त संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।''

आम बैठक

पिछले तीन वर्षों में आयोजित आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	तिथि व समय	स्थान
एजीएम 2015-16	13.09.2016 – 10.00 बजे	बी.।।।/204, दूसरा तल, एलेडको एलिगेन्स अपार्टमेंट, गोमती नगर, लखनऊ 226010
एजीएम 2016-17	26.09.2017 – 10.30 बजे	6/42, विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010
एजीएम 2017-18	18.07.2018 – 12.30 बजे	जेनिथ मेज़नीन, पहली मंजिल, रिनायसांस लखनऊ होटल, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226 010
ईजीएम	26.09.2018 – 16.00 बजे	जेनिथ मेज़नीन, पहली मंजिल, रिनायसांस लखनऊ होटल, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226 010
एजीएम 2018-19	03.08.2019 – 12.30 बजे	बिजनेस सेंटर बोर्ड रूम, ग्राउंड फ्लोर, ताज महल होटल, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ– 226 010.

विशेष संकल्प

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी की वार्षिक आम बैठक दिनांक 13.09.2016 को बुलायी गयी थी और निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित किए गए थे:

1. निदेशक मंडल द्वारा बैंको/वित्तीय संस्थानों से ₹12607 करोड़ तक के ऋण का अनुमोदन।
2. समय–समय पर ऋण लेने के बदले में कंपनी की परिसंपत्तियों को गिरवी रखने अथवा प्रभार अदायगी के लिए सुरक्षा हेतु ₹12067 करोड़ तक अनुमोदन।

दिनांक 26.09.2018 को कंपनी की एक असाधारण सामान्य बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित किए गए थे।

1. प्रतिभूतियों के डीमैटरियलाइजेशन के लिए खंड 15ए को जोड़ने के लिए कंपनी के संघ के अनुच्छेदों का परिवर्तन।

प्रकटीकरण

संबंधित पार्टी लेनदेन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी भी संबंधित पार्टी के साथ किसी भी अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन में प्रवेश नहीं करती थी, जो किसी आर्म लेंथ बेसिस के आधार नहीं थे और आर्म लेंग्थ बेसिस के आधार पर उनके साथ कोई सामग्री अनुबंध / व्यवस्था दर्ज नहीं की गई थी। कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है। दिनांक 31.03.2020 को कोई भी निदेशक / के.एम.पी परस्पर जुड़े नहीं थे।

अन्य प्रकटीकरण

किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश संबंधी किसी भी मामले पर कंपनी पर कोई दंड, बाध्यताएं नहीं लगाई गई हैं।

प्रशासनिक तथा वित्तीय खर्चों, कुल खर्च तथा वित्तीय खर्चों इनमें हुई वृद्धि के विवरण के संबंध में सूचित किया जाता है कि अभी कंपनी निर्माणाधीन है। अतः लाभ और हानि के लिए लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष व्यय को छोड़कर निर्माण अवधि के दौरान किए गए पूरे व्यय को पूंजीगत कार्य–प्रगति में स्थानांतरित किया जा रहा है और संबंधित परिसंपत्तियों को चालू करने पर पूंजीकृत किया जा रहा है। परियोजना के पूरा होने तथा एकक के चालू होने पर उपरोक्त खर्चा राजस्व की श्रेणी में आएगा तथा ऊपर बताए अनुसार तुलना के उद्देश्य से माना जाएगा।

संचार–साधन

दोनों प्रमोटरों द्वारा प्रतिनिहित बोर्ड द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा की जा रही है और इसलिए अलग से संचार भेजने की आवश्यकता नहीं है।

परियोजना स्थल

उत्तर प्रदेश राज्य के कानुपर शहर के घाटमपुर तहसील स्थित कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना (3X660 मे.वा) निर्माणाधीन है। उक्त परियोजना के लिए झारखण्ड राज्य की पछवारा दक्षिण कोयला खंड आवंटित किया गया है।

लेखा परीक्षा अर्हता

कंपनी का हमेशा प्रयास रहा है कि प्रतिबंध रहित वित्तीय विवरण पेश करें। वर्ष 2019–20 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई लेखा परीक्षा अर्हता समाहित नहीं है।

आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंगः

आंतरिक लेखा परीक्षा सनदी लेखाकार की बाहरी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में आवधिक रिपोर्टें शामिल हैं, जिनमें महत्वपूर्ण निष्कर्ष, यदि कोई हो तो, शामिल हैं, और उसकी समीक्षा समय–समय पर लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है।

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

बोर्ड के निदेशक कंपनी के व्यापारिक मॉड्यूल से पूरी तरह परिचित हैं। 2019–20 के दौरान बोर्ड के सदस्यों के लिए कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलाया गया है।

सचेतकता नीति

निदेशक मंडल ने 04/05/2018 को आयोजित अपनी 31वीं बैठक में कंपनी के लिए सचेतकता नीति को मंजूरी दे दी है। इसकी तिमाही रिपोर्ट पर लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है।

अनुपालन

कंपनी ने निगमित अभिशासन प्रमाणपत्र और सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दिए गए गैर–अनुपालन के अलावा निगमित अभिशासन संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित अभिशासन की सभी शर्तों को पूरा किया है। गैर–अनुपालन के कारणों को सचिवीय लेखा परीक्षक के अवलोकनों के जवाब के रूप में अलग से प्रस्तुत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: नेयवेली
दिनांक: 28.09.2020

राकेश कुमार
अध्यक्ष

अनुलग्नक – 4

सेठ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कार्यालय - 90 – पीरपुर स्क्वायर, लखनऊ 226 001 | टेलीफोन:- (+91) (522) 2288287, 2287931 (का)
ई– मेल- ds@sethspro.com | वेबसाइट – www.sethspro.com

निगमित शासन प्रमाणपत्र

सेवा में
सदस्य गण,
नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड

1. हमने गैर सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के संबंध में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा विनिर्दिष्ट निगमित शासन के दिशानिर्देशों में निर्धारित की गई 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नेयवेली उत्तर प्रदेश पॉवर लिमिटेड द्वारा निगमित शासन के शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

2. निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच डीपीई द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों में निर्धारित की गई निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी पद्धतियों और उन पर कार्यान्वयन तक सीमित रही। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न कोई लेखा परीक्षा है और न ही राय की कोई अभिव्यक्ति है।

3. हमारी राय एवं सबसे अच्छी जानकारी तथा हमें दिए गए विवरण और स्पष्टीकरणों तथा निदेशकों और प्रबंधन के द्वारा हमें दिए गए प्रतिवेदनों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी डीपीई द्वारा अधिसूचित सीपीएसई के लिए निगमित शासन के दिशानिर्देशों में निर्धारित की गई निगमित शासन के शर्तों के साथ निम्नलिखितों को छोड़कर अनुपालन किया है;

   i. निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 में यह निर्धारित किया गया है कि कम से कम एक–तिहाई बोर्ड सदस्यों को स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए, हालांकि इसका अनुपालन नहीं किया गया है।

   ii. निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 में निर्धारित किया गया है कि कम से कम दो–तिहाई लेखापरीक्षा समिति के सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, हालांकि इसका अनुपालन नहीं किया गया है।

   iii. निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.2 में निर्धारित किया गया है कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा, हालांकि इसका अनुपालन नहीं किया गया है।

iv. निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों का खंड 4.4 में निर्धारित किया गया है कि लेखापरीक्षा समिति की बैठक के लिए कोरम– या तो दो सदस्य या लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों का एक–तिहाई हिस्सा; इनमें जो अधिक है, वह होगा– लेकिन न्यूनतम दो स्वतंत्र सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है, हालांकि इसका अनुपालन नहीं किया गया है।

v. निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1 में यह निर्धारित किया गया है कि पारिश्रमिक समिति का नेतृत्व एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा किया जाना चाहिए, हालांकि इसका अनुपालन नहीं किया गया है।

4. हम आगे बताते हैं कि इस तरह का अनुपालन कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का ना कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावात्मकता का आश्वासन देता है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों को चलाया है ।

कृते सेठ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 001167C

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 20 जून 2020
यूडीआईएन : 20016730AAAAFV5116

अशोक सेठ (सदस्य सं-016730)
साझेदार

अनुलग्नक – 5

प्रपत्र सं. एम आर – 3

31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) और कंपनी {प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक} नियम 2014 के नियम 9 अनुसरण के क्रम में)

सेवा में,
सदस्यगण,
नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड

हमने **नेयवेली उत्तर प्रदेश पॉवर लिमिटेड सीआईएन: CIN:U40300UP2012GOI053569** (आगे से "कंपनी" कहलाएगा) के द्वारा लागू होने वाले सांविधिक प्रावधानों और अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई जिससे कि निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए और उस पर अपनी राय प्रकट करने के लिए हमारे लिए उचित आधार बन सके।

कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनट पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्नों की और कंपनी के द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा दी गई जानकारी की हमारी जाँच के आधार पर हम एतद्वारा निवेदन करते है कि हमारी राय में कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहाँ सूचित संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी के पास बोर्ड–प्रक्रियाओं एवं उचित पालन–तंत्र है और वह यहाँ दी गई रिपोर्ट के अनुसार ठीक है :

हमने प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के द्वारा अनुरक्षित किए गए बहियों, कागजात, मिनट पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्नों और अन्य अभिलेखों की जाँच की है:

i. कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) तथा इसके तहत बनाए गए नियम;
ii. प्रतिभूमि संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 (एससीआरए) तथा इसके तहत बनाए गए नियम;
(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
iii. निक्षेपागार अधिनियम 1996 तथा इसके तहत बनाए गए विनियम और उप नियम;
iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 तथा इसके तहत बनाए गए नियम एवं विनियम की सीमा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष विनिवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक उधार तक;
(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
v. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशा निर्देश
   अ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणो का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम 2011
   (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

आ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भीतरी व्यापार का निषेध) विनियम 1992

(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

इ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटन अपेक्षाओं को जारी) विनियम 2009

(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

ई. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारीगण स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशा निर्देश 1999;

(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

उ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों जारी और सूचीयन) विनियम 2008 **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

ऊ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

ऋ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ईक्विटी शेयरों का अप–सूचीयन) विनियम 2009 **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

ए. भारतीय प्रतिभूमि और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को पुर्नखरीद) विनियम 1998

(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

ऐ. भारतीय प्रतिभूमि और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015

(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू अन्य कानून निम्नलिखित हैं;

अ. कोयला वहन क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 और उसके तहत बनाए गए नियम।

आ. खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957।

इ. विद्युत अधिनियम 2003 और उसके तहत बनाए गए नियम।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्रत्यक्ष और परोक्ष कर जैसे वित्तीय कानूनों को लागू करना मेरी लेखापरीक्षा के तहत समीक्षा नहीं की गई क्यों कि वे सांविधिक लेखापरीक्षा की समीक्षा और अन्य निर्दिष्ट व्यावसायिकों के तहत आते हैं।

हमने निम्नलिखित लागू होने वाले खंडों की परीक्षा भी की है।

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान मानकों द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक।

(ii) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (डीपीई दिशानिर्देशों) पर लागू होने वाले सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए निगमित शासन पर दिशानिर्देश।

व्यापक महामारी कोरोनोवायरस कोविड –19 के फैलने का तथ्य पर उचित ध्यान दिया गया और लेखा परीक्षा का संचालन करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखने के प्रयास किए गए थे और कम शारीरिक उपस्थिति के साथ डिजिटल लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर बताए गए अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानकों इत्यादि का निम्नलिखित बातों की टिप्पणी से अनुपालन किया है;

1. निदेशक मंडल का गठन निगमित शासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित की गई स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।
2. लेखापरीक्षा समिति का गठन निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित की गई स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।
3. बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति में निगमित शासन के संबंध में निर्धारित की गई डीपीई दिशानिर्देशों के तहत लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तथा नामांकन और पारिश्रामिक समिति के अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकताओं पर अनुपालन नहीं किया गया।
4. बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम के संबंध में निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यकताओं पर पालन नहीं किया गया।
5. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। इसका अनुपालन नहीं किया गया है।
6. कंपनी ने निगमित शासन पर निर्धारित की गई डीपीई दिशानिर्देशों के तहत वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए नए बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू नहीं किया है।
7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है। सरकारी कंपनियों पर लागू अधिनियम की उक्त धारा 178 की उपधारा 2, 3 और 4 के प्रावधानों की आवश्यकताओं की समीक्षा करना आवश्यक था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में जो परिवर्तन हुए हैं, वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में किए गए हैं।

आमतौर पर सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक आयोजित करने के संबंध में पर्याप्त सूचना दी गई थी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजा गया और बैठक के पूर्व ही कार्यसूची के मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए तथा बैठक में सार्थक उपस्थिति के लिए तथा अन्य मुद्दें जो कार्यसूची में शामिल नहीं हैं या कम समयावधि की नोटिस में परिचालित किए हैं, उन्हें अध्यक्ष की अनुमति तथा बैठक में उपस्थित अधिकांश निदेशकों की सहमति के साथ विचार करने के लिए अनुपूरक कार्यसूची के द्वारा विचार किया गया।

बोर्ड की बैठक और समिति की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाते हैं जिन्हें यथास्थिति निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में शामिल किये जाते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी रखने और उनका अनुपालन करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के साथ कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरानः

अ. कंपनी ने आगे भी अमूर्त रूप में रु.10/– के प्रति शेयर पर विचार करने के लिए प्रवर्तक कंपनियों यानी एनएलसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को अधिकार के आधार पर रु.10/– के 136,43,52,000 इक्विटी शेयर क्रमशः 51:49 के अनुपात में जारी किया हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, ऐसे कोई उदाहरण नहीं थे किः

i. शेयर/ अधिमानी शेयरों का निर्गम/ डिबेंचर/स्वेट इक्विटी, आदि।
ii. प्रतिभूतियों का मोचन / पुनः खरीद।
iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अनुपालन में सदस्यों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय।
iv. विलय/समामेलन/ पुनर्निर्माण, आदि।
v. विदेशी तकनीकी सहयोग।

सीएस गुंजन गोयल
पेशेवर कंपनी सचिव

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 21 अगस्त 2020

एसीएस संख्या 38137
सी.पी.संख्या. 16350
यूडीआईएनः A038137B000602459

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणी (रिपोर्ट की क्रम संख्या के अनुसार)	सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर
1. निदेशक मंडल का गठन निगमित शासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित की गई स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।	यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है और निदेशक मंडल में महिला निदेशक सहित अन्य निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति महामहिम राष्ट्रपति के पास है । कोयला मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय को नियमित रूप से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गयी थी तथा इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। अपेक्षित संख्या में निदेशकों की नियुक्ति होने के पश्चात कंपनी पर लागू आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा।
2. लेखापरीक्षा समिति का गठन निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित की गई स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।	उपरोक्त कथनानुसार बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) के अनुपस्थिति में आवश्यकताओं पर अनुपालन नहीं किया जा सका। अपेक्षित संख्या में निदेशकों की नियुक्ति होने के पश्चात कंपनी पर लागू आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा।
3. बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति में निगमित शासन के संबंध में निर्धारित की गई डीपीई दिशानिर्देशों के तहत लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तथा नामांकन और पारिश्रामिक समिति के अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकताओं पर अनुपालन नहीं किया गया।	
4. बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम के संबंध में निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यकताओं पर पालन नहीं किया गया।	
5. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। इसका अनुपालन नहीं किया गया है।	
6. कंपनी ने निगमित शासन पर निर्धारित की गई डीपीई दिशानिर्देशों के तहत वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए नए बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू नहीं किया है।	बोर्ड में नियुक्त नए बोर्ड सदस्य प्रवर्तक कंपनियों से हैं और वे कंपनी के बिजनेस मॉड्यूल से पूरी तरह अवगत हैं। भविष्य में, नए बोर्ड के सदस्यों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है। सरकारी कंपनियों पर लागू अधिनियम की उक्त धारा 178 की उपधारा 2, 3 और 4 के प्रावधानों की आवश्यकताओं की समीक्षा करना आवश्यक था।	संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी में प्रतिनियुक्त किया जाता है और उनके पारिश्रमिक और रोजगार की अन्य शर्तें एनएलसीआईएल की मौजूदा लागू नीति/प्रावधानों/दिशानिर्देशों के अनुसार समय–समय पर शासित होती हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: नेयवेली
दिनांक: 28.09.2020

राकेश कुमार
अध्यक्ष

अनुलग्नक – 6

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में उल्लिखित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नेयवेली उत्तर पदेश पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित किये गये लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह कहा गया है कि दिनांक 20.06.2020 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार यह उनके द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से धारा 143(6) (ए) के तहत दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखा–परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा–परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के आधार–पत्र के बिना ही स्वतंत्र रूप से की गयी है और यह मुख्य तौर पर सांविधिक लेखा–परीक्षकों और कंपनी कार्मिकों की पूछताछ और कुछ चुने हुए लेखांकन अभिलेखों की जाँच तक ही सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगी, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरी दृष्टि में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

अ. तुलन पत्र

परिसंपत्तिया

चालू परिसंपत्तिया

अन्य बैंक शेष: ₹5497.59 लाख (नोट संख्या 7)

1. भारतीय लेखांकन मानक –1 के प्रावधानों के अनुसार, एक इकाई किसी परिसंपत्ति को चालू परिसंपत्ति के रूप में तब वर्गीकृत करेगी जब परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य होती है जब तक कि परिसंपत्ति को एक्सचेंज किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

   अन्य बैंक बैलेंस में शेड्यूल बैंकों के साथ ₹2910.60 लाख और ₹10 लाख की सावधि जमा शामिल है, जो क्रमशः कोयला और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में दी गई बैंक गारंटी के लिए एक सुरक्षा के रूप में दी गई थी। इन बीजी की वैधता क्रमशः 08.05.2021 और 27.11.2022 को समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार, ये सावधि जमाएं प्रतिबंधित नकदी हैं और रिपोर्टिंग अवधि समाप्त होने के बाद 12 महीनों के भीतर उपयोग/वापस लेने के लिए उपलब्ध नहीं होंगी।

   भारतीय लेखांकन मानक –1 के गैर–अनुपालन के परिणामस्वरूप, ₹2920.60 लाख तक 'गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्ति – बैंकों के साथ सावधि जमा', का अवमूल्यन और 'चालू वित्तीय परिसंपत्ति – अन्य बैंक शेष राशि' का अधिमूल्यन हो गया है।

2. भारतीय लेखांकन मानक–109 के प्रावधान के अनुसार, प्रारंभिक मान्यता के बाद, एक इकाई (अ) परिशोधन लागत (आ) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (इ) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर एक वित्तीय परिसंपत्ति को मापेगी।

(i) एनयूपीपीएल ने अपने महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में यह खुलासा किया है कि बाद में एक वित्तीय संपत्ति को प्रभावी ब्याज पद्धति और किसी भी हानि के नुकसान का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर मापा जाता है। इसी तरह, वित्तीय देनदारियों के बारे में, लेखा नीति में कहा गया है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके ब्याज वाले ऋण और उधार बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

तथापि, कैप्शन वाले शीर्षक में 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि के लिए सावधि जमा पर ₹25.97 लाख का अर्जित ब्याज शामिल नहीं है, लेकिन इसे 12 महीने से अधिक मान्यता नहीं देना चाहिए या उचित मूल्य के रूप में मापा जाना चाहिए और इसे अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत दिखाया गया है।

इस प्रकार, भारतीय लेखांकन मानक–109 के गैर–अनुपालन के परिणामस्वरूप ₹25.97 लाख तक वित्तीय परिसंपत्तियाँ – बैंक शेष (नोट नंबर 7), का अवमूल्यन और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट संख्या 8) का अधिमूल्यन हो गया है।

(ii) कंपनी अधिनियम 2013 के भारतीय लेखांकन मानक अनुसूची III के डिवीजन–II पर मार्गदर्शन नोट का पैरा 8.2.10 के अनुसार वित्तीय देनदारियों पर अर्जित ब्याज इसकी वहन राशि का हिस्सा होगा चाहे वह परिशोधन लागत पर हो (यानी प्रभावी ब्याज पद्धति के अनुसार), या उचित मूल्य पर। तदनुसार, एक इकाई संबंधित वित्तीय देयता से अलग से 'ब्याज जमा' पेश नहीं कर सकती है।

तथापि, पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड से उपचित ब्याज ₹143.10 लाख जो देय नहीं है को वित्तीय देयताए – उधार (टिप्पणी सं 12) के अधीन मियादी ऋण के राशि के रूप में प्रस्तुत या शामिल करने के स्थान पर अन्य वित्तीय देयताए (टिप्पणी सं 16) के अधीन प्रस्तुत है।

इस प्रकार, भारतीय लेखांकन मानकों और मार्गदर्शन नोट के उपर्युक्त अनुच्छेदों के गैर–अनुपालन के परिणामस्वरूप ₹143.10 लाख तक अन्य वित्तीय देयताओं (नोट संख्या 16), का अधिमूल्यन और वित्तीय देनदारियों – उधारों (नोट संख्या 12) का अवमूल्यन हो गया है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और
महालेखा परीक्षक की ओर से

(रीना एकोजीम)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा की महानिदेशक
एवं लेखा बोर्ड –।।। की पदेन सदस्य,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2020

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
1. भारतीय लेखांकन मानक –1 के प्रावधानों के अनुसार, एक इकाई किसी परिसंपत्ति को चालू परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करेगी जब परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य होती है जब तक कि परिसंपत्ति को एक्सचेंज किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य बैंक बैलेंस में शेड्यूल बैंकों के साथ ₹2910.60 लाख और ₹10 लाख की सावधि जमा शामिल है, जो क्रमशः कोयला और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में दी गई बैंक गारंटी के लिए एक सुरक्षा के रूप में दी गई थी। इन बीजी की वैधता क्रमशः 08.05.2021 और 27.11.2022 को समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार, ये सावधि जमाएं प्रतिबंधित नकदी हैं और रिपोर्टिंग अवधि समाप्त होने के बाद 12 महीनों के भीतर उपयोग/वापस लेने के लिए उपलब्ध नहीं होंगी। भारतीय लेखांकन मानक –1 के गैर–अनुपालन के परिणामस्वरूप, ₹2920.60 लाख तक 'गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्ति – बैंकों के साथ सावधि जमा', का अवमूल्यन और 'चालू वित्तीय परिसंपत्ति – अन्य बैंक शेष राशि' का अधिमूल्यन हो गया है।	लेखा परीक्षा अवलोकन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रभाव से, सावधि जमा का वर्गीकरण गैर–वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में किया जाएगा जहां बीजी की वैधता तक उपयोग के लिए सावधि जमा को प्रतिबंधित किया गया है, जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत से 12 महीने से अधिक है।
2. भारतीय लेखांकन मानक–109 के प्रावधान के अनुसार, प्रारंभिक मान्यता के बाद, एक इकाई (अ) परिशोधन लागत (आ) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (इ) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर एक वित्तीय परिसंपत्ति को मापेगी। (i) एनयूपीपीएल ने अपने महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में यह खुलासा किया है कि बाद में एक वित्तीय संपत्ति को प्रभावी ब्याज पद्धति और किसी भी हानि के नुकसान का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर मापा जाता है। इसी तरह, वित्तीय देनदारियों के बारे में, लेखा नीति में कहा गया है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके ब्याज वाले ऋण और उधार बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।	लेखा परीक्षा अवलोकन के अनुसार, इस बिंदु की समीक्षा प्रबंधन द्वारा की जाएगी और यदि आवश्यक हो, तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर, वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रभाव से, जमा और उधारी पर उपार्जित ब्याज का लेखांकन व्यवहार किया जाएगा।

तथापि, कैप्शन वाले शीर्षक में 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि के लिए सावधि जमा पर ₹25.97 लाख का अर्जित ब्याज शामिल नहीं है, लेकिन इसे 12 महीने से अधिक मान्यता नहीं देना चाहिए या उचित मूल्य के रूप में मापा जाना चाहिए और इसे अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत दिखाया गया है। इस प्रकार, भारतीय लेखांकन मानक–109 के गैर–अनुपालन के परिणामस्वरूप ₹25.97 लाख तक वित्तीय परिसंपत्तियाँ – बैंक शेष (नोट नंबर 7), का अवमूल्यन और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट संख्या 8) का अधिमूल्यन हो गया है। (ii) कंपनी अधिनियम 2013 के भारतीय लेखांकन मानक अनुसूची III के डिवीजन–II पर मार्गदर्शन नोट का पैरा 8.2.10 के अनुसार वित्तीय देनदारियों पर अर्जित ब्याज इसकी वहन राशि का हिस्सा होगा चाहे वह परिशोधन लागत पर हो (यानी प्रभावी ब्याज पद्धति के अनुसार), या उचित मूल्य पर। तदनुसार, एक इकाई संबंधित वित्तीय देयता से अलग से 'ब्याज जमा' पेश नहीं कर सकती है। तथापि, पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड से उपचित ब्याज ₹143.10 लाख जो देय नहीं है को वित्तीय देयताए – उधार (टिप्पणी सं 12) के अधीन मियादी ऋण के राशि के रूप में प्रस्तुत या शामिल करने के स्थान पर अन्य वित्तीय देयताए (टिप्पणी सं 16) के अधीन प्रस्तुत है। इस प्रकार, भारतीय लेखांकन मानकों और मार्गदर्शन नोट के उपर्युक्त अनुच्छेदों के गैर–अनुपालन के परिणामस्वरूप ₹143.10 लाख तक अन्य वित्तीय देयताओं(नोट संख्या 16), का अधिमूल्यन और वित्तीय देनदारियों – उधारों (नोट संख्या 12) का अवमूल्यन हो गया है।	

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: नेयवेली
दिनांक: 28.09.2020

राकेश कुमार
अध्यक्ष

सेठ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कार्यालय - 90 – पीरपुर स्क्वायर, लखनऊ 226 001 | टेलीफोन:- (+91) (522) 2288287, 2287931 (का)
ई– मेल - ds@sethspro.com | वेबसाइट – www.sethspro.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के सदस्यगण
एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड ('कंपनी') के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिनमें दिनांक 31 मार्च 2020 का तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता, ईक्विटी में परिवर्तन के विवरण और इस समाप्त वर्ष में नकदी प्रवाह का विवरण, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ तथा संक्षेप में उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाए शामिल है (इसके बाद एकल वित्तीय विवरणों के रूप में संदर्भित किया जाता है) की लेखा परीक्षा की है।

   हमारी राय में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अपेक्षा के अनुसार सूचना देती है तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष को कंपनी की अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय स्थिति और इसके नकद प्रवाह और ईक्विटी में परिवर्तन सहित इसके वित्तीय निष्पादन की सूचना भारतीय लेखांकन मानक सहित भारत में आम तौर पर मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप स्वतंत्र और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करती है।

राय के लिए आधार

2. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण के मानक के अनुसार लेखा परीक्षा किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे व्यक्त किया गया है। हम कंपनी के अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

एकल वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

3. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक जवाबदेही रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

   एकल वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वास्तविक रूप से एकल वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान है या अन्यथा वास्तविक रूप से गलत प्रतीत होता है।

अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

4. एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में बताए गए उन विषयों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है जो अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानक सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति वित्तीय निष्पादन और कंपनी के इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदनय निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो प्रभावी ढंग से लेखा विवरणों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण आदि भी शामिल है ।

जब तक प्रबंधन द्वारा कंपनी को बंद करने उसके प्रचलन को रोकने का इरादा होता है क्या उसके अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता है तब तक वित्तीय विवरण को तैयार करते समय लाभकारी कारबार वाला संस्थान के रूप में जारी करने में से संबंधित विषयों की खुलासा करने में और लेखांकन के आधार पर उसका प्रयोग करने में कंपनी की क्षमता का आकलन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

5. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वास्तविक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद किसी महत्त्वपूर्ण गलत बयान होने का पता लगाएगा। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और महत्त्वपूर्ण मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल में, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

6. अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) के अनुसार, हम आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर, लागू सीमा तक "अनुलग्नक ए" विवरण देते हैं।

7. बहियों और अभिलेखों की जाँच से जो उचित प्रतीत हुआ, उसके आधार पर और "अनुलग्नक बी" में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों के आलोक में अधिनियम की धारा 143(5) के नियमों के अनुसार हम अपना प्रतिवेदन संलग्न कर रहें हैं।

8. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षाओं के अनुरूप हम निवेदन करते हैं कि–

(अ) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हर तरह की जानकारी और स्पष्टीकरण हमने प्राप्त किया है।

(आ) हमारी राय में जहाँ तक इन बहियों की जाँच से पता चलता है कि कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार समुचित लेखा बहियाँ कंपनी द्वारा रखी गयी हैं।

(इ) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन–पत्र, लाभ–हानि का विवरण और नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के साथ मेल खाते हैं।

(ई) हमारी राय में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 एवं उससे संबंधित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धाराओं के मानकों के अनुरूप है।

(उ) सरकारी कंपनी होने के नाते कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा दिनांक 5 जून 2015 को जारी की गई अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई) के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2014 की धारा 164 की उपधारा (2) इस कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(ऊ) कंपनी के वित्तीय रिर्पोटिंग के अनुरूप आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सक्षमता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनीय प्रभावात्मिकता के बारे में अनुलग्नक 'सी' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें ।

(ऋ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक के रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर :

1) कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमे नहीं हैं, जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।

2) कंपनी में व्युत्पन्न ठेके सहित ऐसी कोई दीर्घावधि ठेका नहीं है, जिसके कारण कोई मूर्त प्रत्याशित हानि हुई हो।

3) ऐसी कोई रकम नहीं है जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित की जानी अपेक्षित हो।

कृते सेठ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 001167C

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 20- जून -2020
यूडीआईएन : 20016730AAAAFU6792

अशोक सेठ (सदस्य सं-016730)
साझेदार

अनुलग्नक – 'ए' कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 के तहत रिपोर्ट
नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड
यहां तक कि हमारी रिपोर्ट की तारीख तक संदर्भित

हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के संदर्भ में, लेखा परीक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम और हमारे द्वारा जांच की गई बहियों और अभिलेखों में हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम कहते हैं कि: –

1 अ.) कंपनी के पास मात्रात्मक विवरणों और अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित संपूर्ण विवरण दिखाने के लिए समुचित अभिलेख उपलब्ध हैं।

1 आ.) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी परिसंपत्तियों का भौतिक रूप से सत्यापन नहीं किया गया है, लेकिन सत्यापन का एक नियमित योजना है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी परिसम्पत्तियों की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त है। ऐसी जाँच के दौरान कोई भौतिक विसंगति नहीं देखी गई।

1 इ.) अचल परिसम्पत्तियों का टाईटल डिड (स्वत्व विलेख) कंपनी के नाम पर हैं।

2. हमारी राय में कंपनी किसी प्रकार के व्यापार अथवा उत्पादन क्रियाकलाप नहीं करती है। अत: कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 के अनुच्छेद 3(ii) के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते है।

3. हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत रखी गई पंजिका में सम्मिलित किन्हीं कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारों अथवा अन्य पक्षों को किसी प्रकार के जमानती या गैर जमानती ऋण की स्वीकृती नहीं दी है।

4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के प्रावधानों के तहत कंपनी ने कोई उधार, निवेश, गारंटियाँ और प्रतिभूति नहीं दी हैं।

5. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम और नियमों के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान के उल्लंघन में कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। कंपनी विधि मंडल अथवा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी न्यायालय अथवा अन्य न्यायाधिकरण के द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

6. यह हमें समझाया गया है कि अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया गया है।

7 अ.) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और उसके लिए लागू अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक बकाया सहित उचित प्राधिकारी निर्विवाद वैधानिक बकाया के साथ जमा करने में नियमित है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक, आयकर और जीएसटी के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि देय होने की तारीख से छ: महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

7 आ.) हमें दिये गये विवरण और स्पष्टीकरण के अनुसार बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क या उपकर बकाया नहीं है जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया।

8. हमारी लेखा परीक्षा कार्यविधि और हमें दिये गये विवरण और स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय है कि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार अथवा डिबेन्चरधारकों के बकाये के भुगतान में कोई चूक नहीं होने दिया।

9. कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधन सहित) के माध्यम से धन नहीं उठाया है। हालांकि, धन को उन ऋणों के माध्यम से उठाया गया था जो उन उद्देश्यों के लिए लागू किए गए थे जिनके लिए उन्हें उठाया गया था।

10. एक आंतरिक सुलह प्रक्रिया के दौरान, कंपनी ने कुछ अनियमितताओं की खोज की है जिससे भूमि पंजीकरण और भुगतान प्रक्रिया में धोखाधड़ी हो सकती है। पहचान की गई ऐसी अनियमितताओं की कुल राशि लगभग 29.64 लाख है, जिसके लिए आगे की जांच प्रक्रिया चल रही है। कारणों की पहचान और उक्त अनियमितताओं में शामिल सटीक मात्रा के लिए कंपनी द्वारा एक फोरेंसिक जांच शुरू की गई है। कर्मचारी द्वारा उपर्युक्त धोखाधड़ी के कारण वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से परिभाषित नहीं किया जाता है।

11. प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान, कंपनी अधिनियम की अनुसूची–V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों के द्वारा आदेशित अपेक्षित स्वीकृतियों के अनुसार ही भुगतान किया गया अथवा प्रावधान किया गया।

12. कंपनी निधि कंपनी नहीं है अत: यह खंड लागू नहीं है।

13. लेखा परीक्षा कार्यविधियों के आधार पर और हमें दिये गये विवरण और स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ किये गये सभी लेन–देन, जहाँ भी लागू हों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुसार हैं तथा लागू होनेवाले लेखांकन मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय विवरण आदि में प्रकट किया गया है।

14. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों तथा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनशील डिबेन्चरों का कोई अधिमानी आवंटन अथवा निजी स्थानापन्न नहीं किया है।

15. कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार की गैर–नकद लेन– देन नहीं की है।

16. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IA के तहत पंजीकृत की जाने की आवश्यकता नहीं है।

कृते सेठ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 001167C

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 20- जून -2020

अशोक सेठ (सदस्य सं-016730)
साझेदार

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 'बी'

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के सदस्यों को भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों पर हमारे इसी दिनांक को प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुलग्नक में उल्लिखित हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दिशा–निर्देश

क्र. सं.	दिशा–निर्देश	उत्तर	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ–साथ लेखों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	हां, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है। आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है।	शून्य
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन हो या कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार / ऋण / ब्याज आदि के छूट / मामलों को बट्टे खाते डाले हो? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव संबंधी विवरण बताया जाए।	कंपनी के लिए एक ऋणदाता द्वारा दिए गए उधार / ऋणों / ब्याज आदि के किसी भी मौजूदा ऋण या मामलों को बट्टे खाते डालें / छूट नहीं दिया गया।	शून्य
3.	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि को उसके कार्यकाल और उसके निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब / ठीक से उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हां, केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का उसके निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब / उपयोग किया जाता है।	शून्य

कृते सेठ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 001167C

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 20- जून -2020

अशोक सेठ (सदस्य सं-016730)
साझेदार

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 'सी' इसी सम दिनांक को प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लिखित नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ 31 मार्च 2020 को नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड ('द कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और संरक्षण के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण, धोखाधडियों और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की, समयपुर्वक तैयारी सहित कंपनी के कारोबार के नियमित और प्रभावशाली परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित मात्रा में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और संरक्षण शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिर्पोटिंग के ऊपर कंपनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है । हमने, वित्तीय रिर्पोटिंग के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शी टिप्पण (''मार्गदर्शी टिप्पण'') और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले लेखा परीक्षा मानकों दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए लागू और ये दोनों भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किय गये हैं, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए जहाँ तक लागू हो –के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों और मार्गदर्शी 168 टिप्पणों की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए योजनानुसार लेखा परीक्षण करें ताकि न्यायसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त मात्रा में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और संरक्षित हैं कि नहीं तथा ऐसे नियंत्रण सभी मूर्त मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित किये जा रहे हैं कि नहीं। हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिर्पोटिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता से संबंधित लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए कार्य विधियों का निष्पादन और उनकी परिचालनीय प्रभावात्मिकता शामिल हैं। हमारी लेखा परीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, विद्यमान मूर्त मामलों में कमी की जोखिम का मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प का परीक्षण और मूल्यांकन और परिचालनीय प्रभावात्मिकता शामिल किये गये हैं। लेखा परीक्षकों के निर्णय के आधार पर चुनी गयी कार्यविधियाँ में धोखाधड़ी से अथवा भूल से वित्तीय विवरणों के मूर्त गलत विवरणों की जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है। हमें विश्वास है कि हमे प्राप्त लेखा परीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा–परीक्षा राय देने के लिए पर्याप्त एवं समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग को विशवसनीयता प्रदान करने और आम तौर पर मान्य लेखांकन विधियों के तहत बाह्य प्रयोजनों के लिए भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने के लिए निर्मित हैं। कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक नियंत्रण में वे नीतियाँ और कार्यविधियाँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसंपत्तियों के लेने–देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से, तर्कसंगत विवरण के साथ अभिलेखों को संभाले रखने के संबंध मेंय (2) उचित आश्वासन दिलाता है कि यह आम तौर पर मान्य लेखांकन विधियों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए यथा आवश्यक लेन–देन दर्ज किये जा रहे हैं और

और कंपनी के प्रबंधन और निदेशकगण के प्राधिकरण के अनुसार ही कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय किये जा रहे हैंय और (3) भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों पर मूर्त प्रभाव डाल सकने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम अथवा ससमय पता लगाने के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंतर्निहित परिसीमन

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंतर्निहित परिसीमन के कारण मिलीभगत की संभावना अथवा प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का अनुचित अतिप्रयोग के कारण, गलती या धोखाधड़ी के कारण गलत विवरण दिये जा सकते हैं तथा इसका पता नहीं लगाया जा सकता है । आगे, भावी अवधियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणें की परिस्थिति में परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा विधियों के अनुपालन के स्तर के अपकर्ष होने के कारण अपर्याप्त बन जाए।

अर्हता प्राप्त राय

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित माली दोष की पहचान 31 मार्च, 2020 तक की गई है:

भूमि के अधिग्रहण/खरीद, संबंधित भुगतान, उसके पूंजीकरण और लेखांकन के संबंध में मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को इस संबंध में किसी भी अनियमितता को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत करने की आवश्यकता है। कंपनी ने अपनी आंतरिक सुलह प्रक्रिया के दौरान ₹29.64 लाख की कुछ अनियमितताओं को पाया है। भविष्य में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनियमितताओं को रोकने के लिए इस मामले में आगे की जांच करने और वित्तीय नियंत्रण में बदलाव का सुझाव देने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक 'माली दोष' एक कमी है, या कमियों का एक संयोजन है, जैसे कि एक उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय वक्तव्यों की एक महत्वपूर्ण गणना को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

हमारी राय में, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में 31 मार्च, 2020 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखे हैं, कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग के आवश्यक घटकों पर विचार करके स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण, और नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित माली दोष के प्रभावों / संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2020 के वित्तीय विवरणों में हमारे लेखा परीक्षा में लागू की गई जाँच, प्रकृति और समय के निर्धारण की सीमा के ऊपर माली दोष की पहचान की है और रिपोर्ट की है, और महत्वपूर्ण कमजोरी कंपनी के एकल वित्तीय विवरण पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती है।

कृते सेठ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 001167C

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 20- जून -2020

अशोक सेठ (सदस्य सं-016730)
साझेदार

सेठ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कार्यालय - 90 – पीरपुर स्क्वायर, लखनऊ 226 001 | टेलीफोन:- (+91) (522) 2288287, 2287931 (का)
ई– मेल - ds@sethspro.com | वेबसाइट – www.sethspro.com

अनुपालन प्रमाण–पत्र

हमने दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा जारी किये गये निदेशों / उप–निदेशों के अनुसार की है तथा हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमें दिये गये सभी निदेशों / उप–निदेशों का हमने विधिवत् अनुपालन किया है।

कृते सेठ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 001167C

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 20- जून -2020

अशोक सेठ (सदस्य सं-016730)
साझेदार

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट्स	31 मार्च 2020 तक लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 तक पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	31मार्च 2018 तक पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
1	**परिसम्पत्तियाँ**				
	गैर चालू परिसम्पत्तियाँ				
	(अ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	40,822.68	26,804.51	23,313.05
	(आ) उपयोग का अधिकार संपत्ति	3	15.55	-	-
	(इ) प्रगतिशील पूंजी	4	8,43,673.45	5,00,184.28	1,26,006.87
	(ई) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	5	38,326.52	42,357.86	67,971.25
			9,22,838.20	5,69,346.65	2,17,291.17
2	**चालू परिसम्पत्तियाँ**				
	(अ) माल सूची				
	(आ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	(i) नकदी एवं नकदी समतुल्य	6	1.97	3.15	1,189.98
	(ii) ऊपर (i) के अलावा अन्य बैंक बैलेंस	7	5,497.59	20,871.26	6,983.20
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8	25.97	45.93	18.65
	(इ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	9	2,722.04	476.30	725.89
			8,247.57	21,396.64	8,917.72
	कुल परिसंपत्तियाँ		**9,31,085.77**	**5,90,743.29**	**2,26,208.89**
	ईक्विटी और देयताएँ				
1	**ईक्विटी**				
	(अ) ईक्विटी शेयर पूँजी	10	3,05,738.88	1,69,303.68	90,440.00
	(आ) अन्य ईक्विटी	11	(975.42)	(847.20)	(680.26)
			3,04,763.46	1,68,456.48	89,759.74
	देयताएँ				
2	**गैर चालू देयताएँ**				
	(अ) वित्तीय देयताएँ				
	(i) उधार	12	5,17,777.17	3,19,836.11	-
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ				
	पट्टा देयता	13	8.39	-	-
			5,17,785.56	3,19,836.11	-
3	**चालू देयताएं**				
	(अ) वित्तीय देयताएँ				
	(i) उधार राशियाँ	14	-	-	1,00,000.00
	(ii) व्यापार देय राशि:—	15			
	(अ) सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय; तथा		791.88	375.08	175.04
	(आ) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया देय		1,04,423.00	97,248.10	34,075.73
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	16	143.10	-	-
	पट्टा देयता	17	7.79	-	-
	(आ) अन्य चालू देयताएँ	18	3,170.98	4,827.52	2,198.38
			1,08,536.75	1,02,450.70	1,36,449.15
	कुल ईक्विटी एवं देयताएँ		**9,31,085.77**	**5,90,743.29**	**2,26,208.89**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1

1 से 37 संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अविभाज्य अंग होते है।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

निखिल कुमार
कंपनी सचिव

अशोक कुमार माली
मुख्य वित्तीय अधिकारी

मोहन रेड्डी के
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जयकुमार श्रीनिवासन
निदेशक

राकेश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: घाटमपुर
दिनांक: 18.06.2020
यह सम दिनांक की प्रतिवेदन में संदर्भित तुलन पत्र है।

कृते सेठ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 001167C
सीए अशोक सेठ
साझेदार
सदस्य सं.016730
स्थान: लखनऊ
दिनांक: 20.06.2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट्स	समाप्त वर्ष	
			31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
			लेखापरीक्षित	पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
I	परिचालन से राजस्व		-	-
II	अन्य आय	19	34.10	4.91
III	**कुल आय (I+II)**		**34.10**	**4.91**
IV	**व्यय**			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	20	17.93	16.60
	वित्त लागत	21	78.81	135.11
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	22	-	-
	अन्य व्यय	23	11.94	11.80
	कुल व्यय (IV)		**108.68**	**163.51**
V	**कर और दर नियामक गतिविधि से पूर्व लाभ / (हानि) (III-IV)**		**(74.58)**	**(158.60)**
VI	विनियामक स्थगन लेखा शेष में निवल संचलन आय / (व्यय)		**-**	**-**
VII	**कर पूर्व लाभ / (हानि) (V-VI)**		**(74.58)**	**(158.60)**
VIII	कर व्यय:			
	(1) चालू कर		53.64	8.34
	(2) आस्थगित कर		-	-
IX	**अवधि के लिए लाभ / (हानि) (VII-VIII)**		**(128.22)**	**(166.94)**
X	अन्य व्यापक आय		-	-
XI	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) (लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय को मिलाकर)**		**(128.22)**	**(166.94)**
XII	प्रति शेयर अर्जन (निरंतर परिचालन के लिए):	24		
	(1) मूल (**रू में**)		(0.01)	(0.02)
	(2) तनुकृत (**रू में**)		(0.01)	(0.02)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1

1 से 37 संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अविभाज्य अंग होते है।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

निखिल कुमार
कंपनी सचिव

अशोक कुमार माली
मुख्य वित्तीय अधिकारी

मोहन रेड्डी के
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जयकुमार श्रीनिवासन
निदेशक

राकेश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: घाटमपुर
दिनांक: 18.06.2020

यह सम दिनांक की प्रतिवेदन में संदर्भित लाभ एवं हानि विवरण है।

कृते सेठ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 001167C

सीए अशोक सेठ
साझेदार
सदस्य सं.016730
स्थान: लखनऊ
दिनांक: 20.06.2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी में परिवर्तन के विवरण

अ. ईक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी सममूल्य (₹लाख में)	शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी सममूल्य (₹लाख में)
	लेखापरीक्षित		पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	
अथ शेष	169,30,36,800	1,69,303.68	90,44,00,000	90,440.00
वर्ष के दौरान परिचालन	136,43,52,000	1,36,435.20	78,86,36,800	78,863.68
अंतिम शेष	305,73,88,800	3,05,738.88	169,30,36,800	1,69,303.68

इक्विटी शेयर पूंजी में परिचालन का विवरण

विवरण	दिनांक	शेयरों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
इक्विटी शेयरों का आवंटन	27.09.2019	70,54,32,000	70,543.20
इक्विटी शेयरों का आवंटन	28.03.2020	65,89,20,000	65,892.00

आ. अन्य ईक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
	आरक्षित एवं अधिशेष	आरक्षित एवं अधिशेष
	प्रतिधारित अर्जन	प्रतिधारित अर्जन
	लेखापरीक्षित	पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
अथ शेष	(847.20)	(200.21)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्वावधि त्रुटियां	-	(480.05)
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष	(847.20)	(680.26)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	(128.22)	(166.94)
लाभांश	-	-
प्रदत आय का अंतरण	-	-
कोई अन्य परिवर्तन	-	-
अंतिम शेष	**(975.42)**	**(847.20)**

कृते एवं बोर्ड की ओर से

निखिल कुमार
कंपनी सचिव

अशोक कुमार माली
मुख्य वित्तीय अधिकारी

मोहन रेड्डी के
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जयकुमार श्रीनिवासन
निदेशक

राकेश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: घाटमपुर
दिनांक: 18.06.2020

यह सम दिनांक की प्रतिवेदन में संदर्भित ईक्विटी में परिवर्तन के विवरण है।

कृते सेठ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 001167सी

सीए अशोक सेठ
साझेदार
सदस्य सं.016730
स्थान: लखनऊ
दिनांक: 20.06.2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
	लेखापरीक्षित	पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
अ. परिचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ	(74.58)	(158.60)
घटाएं:		
ब्याज आय	(34.10)	(4.91)
जोड़:		
मूल्यह्रास	-	-
ब्याज व्यय	78.81	135.11
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	(29.87)	(28.40)
समायोजन:		
व्यापार प्राप्तियां और अन्य वर्तमान देयताएँ	0.88	1.31
संचालन से उत्पन्न नकदी प्रवाह	(28.99)	(27.09)
प्रदत प्रत्यक्ष कर	(1580.22)	-
असाधारण मदों से पहले नकदी प्रवाह	(1609.21)	(27.09)
असाधारण मदों से नकदी प्रवाह	-	-
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी	**(1609.21)**	**(27.09)**
आ. निवेशीय क्रियाकलापों से नकद		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद और पूंजी कार्य प्रगति पर	(3,04,523.72)	(2,65,081.23)
निवल सावधि जमा समाप्ति/प्रारंभ	15373.67	(13,888.06)
सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	719.84	422.73
निवेशीय क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (अ)	**(2,88,430.21)**	**(2,78,546.56)**
इ. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
एन.एल.सी.आई.एल.से ऋण	-	(1,00,000.00)
एन.एल.सी.आई.एल. से ऋण पर दिया गया ब्याज	(603.03)	(8,971.41)
पी.एफ.सी. से ऋण	96,000.00	1,69,500.00
आर.ई.सी. से ऋण	74,000.00	1,38,000.00
आर.ई.सी. से ऋण पर दिया गया ब्याज	(7199.18)	(5.45)
पी.एफ.सी. से ऋण पर दिया गया ब्याज	(8546.42)	-
पट्टा पर दिया गया ब्याज	(1.80)	-
बैंक गारंटी पर कमीशन	(46.53)	-
शेयर पूंजी निर्गमन	1,36,435.20	78,863.68
वित्तीय क्रियाकलापों से प्राप्त निवल नकद (आ)	**2,90,038.24**	**2,77,386.82**
निवल बढ़ोतरी, घटाव (–) नकद और नकद समतुल्य	**(1.18)**	**(1,186.83)**
वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समतुल्य	**3.15**	**1,189.98**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**1.97**	**3.15**
नकद और नकद समतुल्य का विवरण:		
विवरण	**31 मार्च 2020 तक**	**31 मार्च 2019 तक**
चालू खाते में बैंक में नकद	1.97	3.15
बैंक में जमा खाते में नकद	-	-
कुल	**1.97**	**3.15**

टिप्पण : नकदी प्रवाह विवरण की तैयारी के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनायी गयी है।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

निखिल कुमार
कंपनी सचिव

अशोक कुमार माली
मुख्य वित्तीय अधिकारी

मोहन रेड्डी के
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जयकुमार श्रीनिवासन
निदेशक

राकेश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: घाटमपुर
दिनांक: 18.06.2020
यह सम दिनांक की प्रतिवेदन में संदर्भित नकदी प्रवाह विवरण है।

कृते सेठ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 001167C
सीए अशोक सेठ
साझेदार
सदस्य सं.016730
स्थान: लखनऊ दिनांक: 20.06.2020

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पण

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(भारतीय रुपए में व्यक्त (₹) लाख, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

रिपोर्टिंग इकाई

नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी और एक सरकारी कंपनी है, जो पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 6/42, विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत कार्यालय के साथ पंजीकृत है, और कोयले का उपयोग करके बिजली उत्पादन के व्यवसाय में लगा हुआ है।

तैयारी का आधार

अ. अनुपालन विवरण

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों और विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है, अन्यथा इंगित नहीं किया है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (रू) में तैयार किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है। सभी राशियों को निकटतम लाख के पास रखा गया है, अन्यथा इंगित नहीं किया है।

आ. अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अनुमानों और मान्यताओं की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करते हैं। हालांकि ये अनुमान प्रबंधन को वर्तमान घटनाओं और कार्यों के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित हैं, इन अनुमानों और मान्यताओं के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप परिणाम हो सकते हैं, जिससे भविष्य की अवधि में परिसंपत्तियों या देनदारियों की मात्रा में सामग्री समायोजन की आवश्यकता होती है। वित्तीय वर्ष में वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात या मूर्त होते हैं।

इ. चालू और गैर–चालू वर्गीकरण

कंपनी चालू / गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है।

एक परिसंपत्ति चालू है जब यह :

अ) सामान्य परिचालन चक्र में बेचा या उपभोग किए जाने की उम्मीद या प्राप्ति की उम्मीद;

आ) शुरुआत में व्यापार के उद्देश्य के लिए रखा जाता है;

इ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्ति की उम्मीद;

ई) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों तक देयता का निपटान करने के लिए परिवर्तन या उपयोग करने हेतु प्रतिबंधित नहीं होने तक नकद या नकद समकक्ष;

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक देयता चालू है जब यह:

अ) सामान्य परिचालन चक्र में चुकाने की उम्मीद;

आ) शुरुआत में व्यापार के उद्देश्य के लिए रखा जाता है;

इ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर चुकाने के लिए देय है; या

ई) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार होता है।

अन्य सभी देयताओं को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है

आस्थगित कर संपत्ति / देयता को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

1. उल्लेखनीय लेखांकन पद्धतियाँ

लेखांकन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने हेतु एनयूपीपीएल ने होल्डिंग कंपनी अर्थात एनएलसी इंडिया लिमिटेड की लेखांकन नीतियों और अधिसूचित लेखा मानक के अनुरूप कहीं–कहीं अपनी लेखा नीतियों में बदलाव किए हैं। हालांकि, इस परिवर्तन के कारण कोई मुख्य प्रभाव नहीं पड़ा है।

I. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

मान्यता एवं मापन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को लागत से सचिंत मूल्यह्रास और संचित क्षति, यदि कुछ हो, को घटाते हुए मूल्यांकन किया जाता है। अधिग्रहण लागत में कर, शुल्क, भाड़ा, निर्माण/अधिग्रहण के दौरान निर्माण संबंधी आकस्मिक खर्च और आवश्यक खर्च और अंतिम निपटान के वर्ष में किए गए आवश्यक समायोजन शामिल हैं। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में, डीकमिशनिंग, पुनर्स्थापन से उत्पन्न बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य यदि कुछ हो और तत्संबंधी देयताएं भी शामिल हैं। उन लागतों का वर्तमान मूल्य (डीकमिशन और/अथवा पुनर्स्थापन लागत) को संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है तथा संपत्ति के उपयोगी काल के दौरान मूल्यह्रास के रूप में दिखाया गया है।

भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार कंपनी ने पूर्व जीएएपी के अनुसार पीपीई मूल्य को भारतीय लेखांकन मानक के संक्रमण की तारीख को अनुमानित लागत के रूप में मानने की छूट प्राप्त की।

यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मदों का महत्वपूर्ण अंग भिन्न उपयोगी काल रखते हैं तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग मद (प्रमुख घटक) के रूप में लेखांकित किया जाता है। समस्त परिसंपत्तियों के मूल लागत के 25% से अधिक लागतवाले मदों को ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की एक स्व–निर्मित वस्तु की लागत में सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और उधार लेने की लागत और संपत्ति को आवश्यक स्थान पर लाने और प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम बनाने के लिए किए जा रहे ओवरहेड खर्च सहित अन्य लागत शामिल है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निर्माण में उनको नियत उपयोग में लाने तक किए गए खर्च से संबंधित अप्रत्यक्ष प्रशासनिक ओवरहेडों के अलावा अप्रत्यक्ष व्यय के बारे में पता लगाकर संबंधित परिसंपत्तियों की लागत को व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

पूँजीकरण की बाद की लागत

वर्तमान परिसंपत्तियों पर हुए बाद के व्यय को परिसंपत्ति की कैरिइंग राशि में बढ़ोतरी के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभाव्य है कि व्यय हुई लागत से निकलने वाली भावी आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होगा और उस मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है।

सृजन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत पर हुए व्यय पूंजीकृत किया जाता है जब वह भारतीय लेखांकन मानक 16 के अनुसार आस्ति मान्यता मानदंड को पूरा करता है।

किसी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मद का कोई पुर्जा बदलने पर हुई लागत को उस मद की कैरिइंग राशि में मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य है कि उस पुर्जे के भीतर का भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होता और उसकी लागत विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। बदल दिए गए पुर्जे की कैरियिंग राशि को मान्यता नहीं दी जाती है। परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की दैनंदिन सर्वीसिंग की लागत, जितना व्यय होता उसे लाभ या हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

उपयोग के लिए तैयार परिसंपत्तियों के मामले, जिनमें संविदाकर्ताओं के बिलों का अंतिम निपटान नहीं किया गया तो अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन होने पर अस्थाई आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

पुर्जे और उपकरण

प्रारंभिक पुर्जे: परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के साथ की गई खरीद को मुख्य परिसंपत्ति के साथ पूंजीकृत और मूल्यह्रास किया जाता है।

परिसंपत्तियों की कमीशनिंग के बाद खरीदे गये पुर्जे: पुर्जे मदें, स्टैण्ड–बाइ उपकरण और सर्वीसिंग उपकरणा जो भारतीय लेखांकन मानक 16 के अनुसार परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा का समतुल्य होता, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है। अन्य पुर्जों को मालसूची का माना जाता है और उसके उपभोग किए जाने पर लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

उपयोग के लिए तैयार परिसंपत्तियां, जहां ठेकेदार के बिलों का अंतिम निपटान नहीं किया गया तो अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन की शर्तों पर अस्थाई आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

भूमि का पूंजीकरण

(क) पूर्ण स्वामित्व भूमि : खनन, ताप संयंत्र तथा टाउनशिप की स्थापना सहित अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए अर्जित भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 तथा भूमि अधिग्रहण में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनःस्थापना अधिनियम 2013 के प्रावधानों और समय–समय पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधनों / परिवर्तनों के अनुसार है। उपर्युक्त भूमि की लागत को भूमि को कब्जा में लेने / अधिकार विलेख को कंपनी के नाम पर बदलने की तिथि को पूंजीकृत किया जाता है।

(ख) पट्टेवाली भूमि : कोयला वहन क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार भूमि को पट्टे पर लिया जाता है। उपर्युक्त पट्टेवाली भूमि को तब पूंजीकृत किया जाता है जब वह पूरी भूमि/ भूमि का आवश्यक भाग विकास और खनन प्रक्रिया के लिए तैयार है।

एमडीओ मोड के तहत कोयला खानों का संचालन, खानों के वाणिज्यिक संचालन की तिथि (सीओडी) निम्न के आधार पर तय किया जाता है:

अ) वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से लेकर उसके तुरंत बादवाले वर्ष जिसमें परियोजना, अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार भौतिक आउटपुट की 25% क्षमता प्राप्त होती है; या

आ) कोयला पाने के 2 साल; या

इ) वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से लेकर, उत्पादन मूल्य कुल व्यय से अधिक होता है,

उक्त में से जो भी पहले होता हो।

पूंजीकरण

अ) पावर उत्पादन इकाई

थर्मल पावर उत्पादन इकाई के लिए टेस्ट और ट्रायल उत्पादन संकालन तिथि से प्रारंभ होती है तथा वाणिज्यिक कमिशनिंग की तिथि तक चलता है। बहत्तर घंटों की कुल लोड परिचालन के टर्बो जनरेटर का अनंतिम टेक–ओवर तिथि को इकाई की वाणिज्यिक कमीशनिंग तिथि मानी जाती है। मूल्यह्रास प्रभार वाणिज्यिक परिचालन माह से प्रारंभ होता है। टेस्ट और ट्रायल रन के दौरान होने वाले प्रत्यक्ष खर्च और ब्याज प्रभार को पूंजीकृत किया जाता है तथा इस अवधि के दौरान बिजली के विक्रय से प्राप्त राजस्व, यदि कुछ हो, तो उससे प्राप्त धनराशि को परियोजना की पूंजी लागत से घटाया जाता है।

आ) अन्य संपत्तियाँ:

अन्य संपत्तियों को जब प्रबंधन द्वारा यथा अभिप्रेत प्रयोग के लिए उपलब्ध है तब पूंजीकृत किया जाता है।

मूल्यह्रास / परिशोधन

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत में से उनकी अनुमानित उपयोगी जीवन अवशेष मूल्य को घटाते हुए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है, जिसे लाभ–हानि विवरण में शामिल किया जाता है। पूर्ण स्वामित्व वाली जमीन मूल्यह्रास नहीं किया जाता है। पट्टे पर ली गई जमीन की लागत को खान की अनुमानित उपयोगी जीवन या वास्तविक रूप से अनुमानित संबद्ध ताप विद्युत संयंत्र के जीवन दोनों में से जो कम है उसके वाणिज्यिक संचालन आरंभ करने तिथि से परिशोधित किया जाता है।

मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नानुसार सीधी रेखा पद्धति के तहत किया जाता है।

क्र.सं	संरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण	आधार
i	एश टिप्परों के अलावा वाहनों को छोड़कर थर्मल पवर स्टेशन की परिसंपत्तियां	कंपनी, विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों का अनुसरण करती है। विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसरण में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित किए गए दरों/दिशा–निर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास है।
ii	आवासीय भवन	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची –।। में निर्धारित उपयोगी जीवन पर
iii	भवन: गैर आवासीय भवन	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–।। में निर्धारित तकनीकी रूप से मूल्यांकित जीवन / उपयोगी जीवन के अधिकतम पर
iv	अन्य परिसंपत्तियाँ	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।। में निर्धारित उपयोगी जीवन पर
v	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के साथ पूंजीकृत बंदकरण लागत	मूल परिसंपत्ति की तरह मूल्यह्रास किया गया।
vi	पी.पी.ई के रूप में लिये गए पुर्जे	तकनीकी रूप से मूल्यांकित जीवन
vii	₹5,000 से कम लागत वाली परिसंपत्तियां	जब परिसंपत्ति उपयोग के लिए तैयार हो तब उसे पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

परिसंपत्तियों के कमीशन / रिटायारमेंट वर्ष में, पूंजीकृत माह से मान्यता प्राप्त यथानुपात पद्धति पर मूल्यह्रास परिकलित किया जाता है।

खान विकास खाता का परिशोधन

अधिभार हटाव और संबंधित लागत को प्रत्येक परियोजना के लिए निर्धारित के रूप में प्रमात्रा मानदंड की प्राप्ति तक पूँजी कार्य प्रगति के तहत खान विकास लागत के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं। ऐसे प्रमात्रा मानदंड की प्राप्ति पर, खान विकास लागत को 'खनन विकास लागत' के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं। ताप विद्युत संयंत्रों को प्रत्यक्ष रूप से भरण करने के लिए जुड़े खान के लिए, "खान विकास लागत" संबद्ध ताप विद्युत संयंत्र के लिए खान के अनुमानित जीवन या अनुमोदित वास्तविक/आरंभिक जीवन जो भी कम है उससे परिशोधित किया जाता है। खान के लिए जो कोई विशेष भरण करने वाले ताप विद्युत संयंत्र से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं हैं, "खान विकास लागत" वाणिज्यिक संचालन के घोषणा से प्रबंधन के द्वारा अनुमानित जीवन को परिशोधित किया जाता हैं। प्रबंधन समय-समय पर खनन के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।

ऐसी समीक्षा पर, कार्यान्वयन के अधीन परियोजना, यदि तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार अधिपत्रित है तो उसे संचालन में मौजूदा खान के साथ एकीकृत किया जाता है। खान विकास व्यय, मौजूदा खान के साथ ऐसे एकीकरण की तिथि तक ऐसे एकीकरण के वर्ष में लाभ और हानि के विवरण से प्रभारित मुक्त किया जाता है। प्रबंधन समय–समय पर खनन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। ऐसी समीक्षा करने पर, परियोजना जो कार्यान्वयन के अधीन है, वो संचालन में प्रचलित खान के साथ एकीकृत है, यदि ऐसा है, तो तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार वारंट किया गया है। प्रचलित खान के साथ ऐसी एकीकरण की तारीख तक खान विकास व्यय को ऐसी एकीकरण के वर्ष में लाभ और हानि के विवरण को चार्ज किया जाता है।

विमान्यता

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को तब विमान्यकरण किया जाता है जब उनके उपयोग अथवा उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ की अपेक्षा नहीं होती है। परिसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद के विमान्यकरण पर होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण उनके निपटान से प्राप्त अधिगम यदि कुछ हो की तुलना परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कैरियिंग राशि के साथ करते हुए निर्धारित किया जाता है और उन्हें लाभ हानि विवरण में मान्यता दिया जाता है।

अन्वेषण और मूल्यांकन:

अन्वेषण और मूल्यांकन लागत में, तकनीकी व्यवहार्यता का निर्धारण लंबित होते हुए कोयले की खोज से संबंधित पूंजीकृत लागत शामिल है तथा पहचान किए गए स्रोत की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्न शामिल होंगे:

- ऐतिहासिक रूप से अन्वेषित आंकडों का अनुसंधान एवं विश्लेषण
- टोपोग्राफिकल, जियो केमिकल और जियो फिसिकल अध्ययन के माध्यम से अन्वेषण आंकडे एकत्र करना
- अन्वेषणात्मक ड्रिल्लिंग, ट्रेंचिंग और सेंप्लिंग
- संसाधनों की मात्रा और ग्रेड का निर्धारण और परीक्षण
- सर्वेक्षण परिवहन और आधारभूत संरचना अपेक्षाएं

खनन अधिकार या अन्वेषण अधिकार प्राप्त होने के बाद होने वाले अन्वेषण और मूल्यांकन व्यय, अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों (विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां) के रूप में पूंजीकृत किया जाता है तथा लागत से हानि घटाकर प्रस्तुत किया जाता है।

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को न्यूनतम वार्षिक आधार पर हानिकारक संकेतकों के लिए मूल्यांकन किया जाता है। खनन अधिकार या अन्वेषण अधिकार प्राप्त होने से पहले हुए अन्वेषण और मूल्यांकन व्यय को, व्यय के रूप में खर्च किया जाता है।

II – अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और मापन

कंपनी द्वारा अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता तथा उसके लागत पर मापन तभी किया जाता, जब कि:

अ) यह संभव है कि परिसंपत्ति पर आरोप्य अनुमानित भावी आर्थिक हितलाभ, संस्था को मिलेगा और

आ) परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीयता के साथ मूल्यांकित किया जा सके।

अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

₹10 लाख अथवा उससे अधिक राशि के लिए कंपनी द्वारा अधिग्रहित समेत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां जिनकी उपयोगी जीवन अवधि सीमित है, उन्हें लागत से मापन किया जाता है।

अनुवर्ती व्यय

अनुवर्ती व्ययों को केवल इस स्थिति में पूंजीकृत किया जाता, जब इससे संबंधित विशिष्ट परिसंपत्ति का भावी आर्थिक हितलाभ बढ़ता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि निम्नानुसार है:

विकास (आंतरिक रूप से जनित परियोजनाएं)	अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि पर
परियोजना के दौरान हुए व्यय और अनुवर्ती व्यय (परियोजना विकास व्यय)	मूल परिसंपत्ति की अवशिष्ठ जीवन अवधि पर
₹10 लाख से अधिक लागत वाले सॉफ्टवेयर	5 वर्ष

अमूर्त परिसंपत्तियों की विमान्यता से होनेवाले लाभ या हानि को लाभ– हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

III- **मालसूची**

मालसूची को न्यून लागत और निवल प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

स्टॉक वस्तुएं	आधार पर
कोयला	भारित औसत अधिग्रहण लागत पर
लाइट डीजल ऑयल, हैवी फरनेस ऑयल सहित भंडार एवं पूर्जे	भारित औसत अधिग्रहण लागत पर
अपशिष्ट उत्पाद, निपटानार्थ हटाए गए भंडार और पुर्जे एवं कैन्टीन भंडार	शून्य
प्राप्त माल जिनका निरीक्षण/स्वीकृति अभी लंबित है, सहित मार्गस्थ माल	लागत

निवल प्राप्य मूल्य, व्यापार के सामान्य कार्यकाल में अनुमानित बिक्री मूल्य से अनुमानित समाप्ति मूल्य एवं बिक्री के लिए अनुमानित आवश्यक लागत को घटाने पर मिलता है।

IV- पूर्वदत्त व्यय

व्यय को पूर्वदत्त व्यय के तहत केवल उसी स्थिति में लेखांकित किया जाता है जब प्रत्येक मामले में चालू अवधि से संबंधित रकम ₹1 करोड़ से ज्यादा हो।

V- वित्तीय लिखत

गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों को उनके उचित मूल्य से थोड़ा बहुत जोड या घटाव के रूप में माना जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति जो लाभ–हानि के जरिए उचित मूल्य नहीं, लेन–देन लागत प्रत्यक्ष तौर पर वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण से सीधे आरोप्य होगी।

अनुवर्ती मापन

परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज प्रणाली और किसी क्षति–हानि के निवल के प्रयोग से परिशोधित लागत पर अनुवर्ती मापन किया जाता है, यदि:

- परिसंपत्ति व्यावसायिक मॉडल के अधीन है, जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह के संग्रहण हेतु परिसंपत्ति को धारित रखना और
- वित्तीय परिसंपत्ति के संविदागत शर्तें निश्चित तिथियों पर नकदी प्रवाह में तेजी लाता है, जो पूर्णत: मूलधन और ब्याज का भुगतान है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में स्टॉफ अग्रिम, बॉण्ड में निवेश, व्यापार प्राप्तियां आदि शामिल हैं।

विमान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियां केवल और केवल तभी विमान्य होती है जब:

- वित्तीय परिसंपति के नकदी प्रवाह के संविदागत अधिकार समाप्त हुआ अथवा
- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार को अंतरित किए गए हैं अथवा
- नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के संविदागत अधिकार को प्रतिधारित किया जाता है इस व्यवस्था के अधीन तीसरे पक्ष को पूर्ण रूप से प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान किसी विलम्ब के बिना देने का दायित्व भी है।

गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय देयताएं को प्रारंभिक तौर पर उस लेन–देन की तिथि से लागू किया जाता है जिस तिथि को कंपनी लिखत के संविदागत प्रावधानों के तहत पक्ष बना है। सभी वित्तीय देयताएं प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य पर माना जाता है, ऋण एवं उधार और देनदारियों के मामले में प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लेन–देन लागत के निवल से संबंधित है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देनदारियां, कर्ज इत्यादि शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद, ब्याजशील ऋण और कर्जों को प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ई.आई.आर) के प्रयोग से परिशोधित लागत के रूप में मापा जाता है। जब ई.आई.आर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से देयताओं की विमान्यता की जाती है तब अभिलाभ एवं हानियों को लाभ–हानि लेखा में मान्यता दी जाती है। प्रभावी ब्याज दर के अविभाज्य अंग जैसे अधिग्रहण संबंधी कोई भी छूट अथवा प्रीमियम और शुल्क अथवा लागत को लेखांकित करते हुए परिशोधित लागत परिकलित की जाती है। लाभ–हानि विवरण में ईआईआर परिशोधन को वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

विमान्यता

भारमुक्ति या रद्दीकरण अथवा देयता के अधीन बाध्यता की समाप्ति से उन्मूलन होने वाली वित्तीय देयता को विमान्यकरण किया जाता है। अत्यधिक विभिन्न शर्तें युक्त कर्ज लिखत का विनिमय अथवा वर्तमान वित्तीय देयता की शर्तों में अधिक अथवा आंशिक संशोधन को मूल वित्तीय देयता का समापन माना जाएगा तथा नई वित्तीय देयता मानी जाएगी। इन राशियों में होने वाले अंतर लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाएगा।

वित्तीय लिखतों का प्रतितुलन

वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयताएं को प्रतितुलित किया जाता है और तुलन पत्र में निवल राशि के रूप में केवल और केवल तभी प्रस्तुत की जा सकती है जब कंपनी:

- मान्यता दी गई राशि को प्रतितुलित करने के लिए वर्तमान में कानूनी अधिकार प्राप्त है और
- या तो निवल आधार पर निपटान करने या फिर परिसंपत्ति की बिक्री द्वारा साथ–साथ देयताओं के निपटान करने का विचार है।

VI – क्षति

वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्तियां समेत)

अनुमानित हानि का मापन तथा प्रावधान (क) 12 माह की अनुमानित हानि अथवा (ख) आजीवन अनुमानित हानि की बराबर राशि के रूप में किया जाता है। यदि वित्तीय लिखतों की क्रेडिट जोखिम प्रारंभ से ही समुचित रूप से नहीं बढ़ता है तो 12 माह की अनुमानित हानि की बराबर राशि का प्रावधान किया जाता है। अन्य मामलों में आजीवन क्रेडिट हानि का प्रावधान किया जाएगा।

गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी के गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की रखाव राशि को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के संकेत की पहचान करने के लिए समीक्षा की जाती है। यदि ऐसा कोई संकेत होता तो परिसंपत्ति की वसूली करने योग्य राशि का आकलन किया जाता है ।

नकदी उत्पादन इकाई (सी.जी.यू) तथा पृथक परिसंपत्तियों के लिए क्षति–हानि का प्रावधान किया जाता है। सीजीयू के संबंध में मान्य क्षति हानि, पहले इकाई को आवंटित कोई साख की रखाव राशि आवंटित की जाती है, उसके बाद यथानुपात आधार पर इकाई (इकाइयों की कंपनी) में अन्य परिसंपत्तियों के रखाव राशि को कम किया जाता है।

अलग–अलग परिसंपत्तियों की क्षति–हानि, रखाव राशि जो वसूली योग्य राशि से अधिक है जिसे लाभ–हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में क्षति–हानि की समीक्षा करते समय क्षति हानि में किसी प्रकार की गिरावट अथवा अस्तित्वहीनता को तदनुसार दर्ज किया जाता है।

VII – उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य निर्धारित तारीख को बाजार प्रतिभागियों के बीच का व्यवस्थित लेन–देन में परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त अथवा देयता दायित्वों का अंतरण करने पर प्राप्त शुल्क है। किसी कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के संबंध में निर्धारित तिथि पर उचित मूल्य का प्रयोग ही उचित मूल्य निर्धारण है। कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयताओं से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 113 के अनुसार, जहां कहीं अपेक्षित हो, को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में उचित मूल्य मापन का विकल्प नहीं चुना जाता है।

VIII – प्रारंभिक परियोजना विकास व्यय

प्रारंभिक परियोजना विकास व्यय में साध्यता अध्ययन, डेटा का प्रलेखन, अन्य विकास व्यय, अन्वेषण कार्यों पर व्यय, तकनीकी जानकारी शामिल हैं। यदि भारत सरकार द्वारा कारोबार के अंतरण में ऐसी परियोजनाओं का चयन किया जाता है तो उन पर होने वाला खर्च प्रत्याशित क्रेता से वसूला जाएगा। यदि भारत सरकार के आदेशों अथवा कोई अन्य कारणों से परियोजनाएं छोड़ दी गई हैं तो ऐसे व्यय संबंधित वर्ष के लाभ–हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

IX – सरकारी / अन्य अनुदान

परिसंपत्तियों के संदर्भ में

परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को तुलन पत्र में आस्थगित आय के रूप में अनुदान को स्थापित करने के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जब उचित आश्वासन है कि वे प्राप्त किया जाएगा और कंपनी अनुदान के साथ संबद्ध निबंधनों के साथ पालन करेगी। आस्थगित आय को परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन से प्रणालीबद्ध आधार पर लाभ–हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

आय के संदर्भ में

आय से संबंधित अनुदान वे हैं जो परिसंपत्तियों से संबंधित नहीं हैं जिसे प्रणालीबद्ध रूप से उन अवधियों के लिए लाभ–हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जिसके दौरान क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त अनुदान जो संबंधित लागत को कंपनी द्वारा व्यय के रूप में दर्ज किया जाता अथवा उस अवधि, जिसके दौरान अनुदान से संबंधित शर्तें पूरा की जाती है।

X - कर्मचारी हितलाभ

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ को संबंधित सेवा प्रदत्त व्यय के रूप में माना जाता है। यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदत्त भूतपूर्व सेवा हेतु प्रदत्त राशि के लिए वर्तमान, कानूनी अथवा ठोस बाध्यताएं है तथा यह बाध्यता विश्वसनीय ढ़ंग से प्राक्कलित किया जा सकें तब प्रदत्त अनुमानित राशि को देयता मानी जाती है। अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ में मजदूरी, वेतन, प्रोत्साहन, अल्पकालीन छुट्टी वेतन आदि शामिल हैं।

सेवोपरांत हितलाभ

जब संबंधित सेवाएँ प्रदत्त की जाती हैं तब कर्मचारियों को सेवोपरांत हितलाभ के अंशदान हेतु दायित्व के रूप में खर्च किया जाता है।

उपदान, सेवापरांत चिकित्सा सुविधा, गृह नगर में सेटिल होने हेतु परिवहन भत्ता, अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश और भविष्य निधि की ओर से कंपनी की देयता निर्धारित हितलाभ योजना माना जाता है जो कंपनी द्वारा प्राप्त आवंटन के अनुसार प्रदान किया जाता है।

एनयूपीपीएल के सभी कर्मचारियों एनएलसीआईएल से दूसरे स्थान पर हैं। सभी पोस्ट–रिटायरमेंट लाभ योजनाओं से संबंधित फंड एनएलसीआईएल द्वारा बनाए रखा जाता है और एनयूपीपीएल को समय–समय पर बीमांकिक मूल्यांकन/अन्य आवंटन पद्धति के आधार पर एनएलसीआईएल द्वारा आवंटित किया जाता है।

भविष्य निधि और उपदान के लिए योगदान का मूल्यांकन स्वतंत्र बिमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन माना जाता है तथा यह राशि संबंधित ट्रस्ट/संस्था को वित्तपोषित की जाती है।

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में कंपनी की निवल बाध्यता प्रत्येक योजना के लिए अलग से परिकलित की जाती है। कर्मचारी द्वारा वर्तमान और उससे पूर्व अवधि के दौरान अर्जित हितलाभ राशि का अनुदान करते हुए उस राशि को, योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य से घटाया जाता है।

निर्धारित हितलाभ दायित्व की राशि को त्रैमासिक और वार्षिक रूप में निष्पक्ष बीमांकिक द्वारा प्रस्तावित इकाई उधार प्रणाली का प्रयोग करते हुए परिकलित किया जाता है और तदनुसार लेखा किया जाता है।

बीमांकिक लाभ और हानि, योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (ब्याज रहित) और परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव (ब्याज यदि कोई हो, रहित) युक्त निवल निर्धारित हितलाभ देयता का पुनर्मूल्यांकन तत्काल अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के रूप में जाना जाता है। निर्धारित लाभ योजना से संबंधित निवल ब्याज व्यय/आय, सेवा लागत और अन्य व्यय आदि लाभ हानि विवरण में आते हैं।

जब किसी योजना के हितलाभ बदल जाते हैं या जब कोई योजना कम कर दी जाती है तो उसके परिणामस्वरूप लाभ में होने वाले परिवर्तन पिछली सेवाओं से संबंधित है अथवा कमी के कारण हुए लाभ / हानि, को तत्काल लाभ एवं हानि विवरण में शमिल किया जाता है। जब कभी निपटान होता है तब निर्धारित हितलाभ योजना पर लाभ और हानि को कंपनी द्वारा मान्यता प्रदान किया जाता है।

सेवांत हितलाभ

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा को जब तक कंपनी उन हितलाभों को नहीं हटाता है तब तक दिया जाता है। यदि हितलाभों को रिपोर्टिंग की तिथि से 12 महीनों की अवधि के भीतर पूरी तरह से निपटान नहीं किया है तो तब उन्हें भुनाया जाता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवाओं की देयताओं को प्रत्येक आफर के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रत्येक आफर की समाप्ति की तिथि तक कर्मचारी द्वारा दिए गए विकल्प को प्रयोग में लाने के वर्ष में बुक किया जाता है।

xi– पूर्वावधि मदें, लेखांकन अनुमान और लेखांकन नीति में परिवर्तन का प्रभाव

भौतिक प्रकृति की पूर्वावधि मदें / गलतियों को जिस अवधि में गलती हुई, उस अवधि के तुलनात्मक राशियों को पुनः निर्धारित करते हुए पूर्व प्रभावी तौर पर सही किया जा सकता है। यदि पूर्वावधि गलती, प्रस्तुत की गई प्रारंभिक पूर्वावधि से पहले हुई है तो, परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, प्रस्तुत की गई पूर्वावधि के लिए देयताओं और इक्विटी को पुनर्निर्धारण किया जाता है।

लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के प्रभाव को जहाँ वह परिवर्तन परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित है वहाँ छोड़कर, लाभ हानि विवरण में संभवत: दर्ज किया जाता है तथा इसको परिवर्तन अवधि में संबंधित परिसंपत्तियों / देयताओं / ईक्विटी की राशि के समायोजन द्वारा माना जाता है।

भारतीय लेखांकन मानकों के प्रारंभिक अनुप्रयोग के कारण लेखांकन नीति में परिवर्तन की कोई व्यवस्था है तो भारतीय लेखांकन मानक में निर्धारित उन विनिर्दिष्ट संक्रमणकालीन प्रावधानों यदि कुछ हो, के अनुरूप

होगा। अन्य मामलों में लेखांकन नीति में होने वाले परिवर्तन पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू होगा। इस प्रकार से हुए परिवर्तन का अनुप्रयोग यथासमय व्यवहार्य अवधि के लिए सीमित है।

XII – तुलन–पत्र तिथि के बाद होने वाली घटनाएं

तुलन पत्र की तिथि के बाद होने वाली भौतिक प्रवृत्ति की घटनाएं वे हैं जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति और निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरण को अनुमोदित किए जाने के दौरान घटित होती हैं। ऐसी घटनाओं का प्रकटन किया जाता है अथवा भारतीय लेखांकन मानक 10 में निर्धारितानुसार वित्तीय विवरण में दिया जाता है।

XIII - राजस्व मान्यता

अन्य आय

अन्य आय में ब्याज आय, बीमा दावे शामिल हैं।

ब्याज आय

कर्मचारियों को प्रदत्त अग्रिम के संबंध में ब्याज आय, प्रभावी ब्याज प्रणाली का उपयोग करते हुए मान्यता प्राप्त है। 'प्रभावी ब्याज दर' यह है जो अनुमानित भावी नकदी भुगतान को वास्तव में कम करता है या वित्तीय परिसंपत्ति के सकल रखाव राशि को वित्तीय कारक के अनुमानित जीवन से प्राप्त किया जाता है।

ब्याज आय के परिकलन करने में, प्रभावी ब्याज दर को परिसंपत्ति (जब परिसंपत्ति उधार ह्रासित नहीं) के सकल रखाव राशि पर अनुप्रयोग किया जाता है। तथापि प्रारंभिक मान्यता के कारण उधार ह्रासित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए ब्याज आय, प्रभावी ब्याज दर तथा वित्तीय परिसंपत्ति के परिशोधित लागत का अनुप्रयोग करते हुए परिकलित की जाती है। यदि परिसंपत्ति आगे उधार ह्रासित नहीं है तो, फिर ब्याज आय का परिकलन, वापस सकल आधार पर किया जाता है।

वसूल किए जाने वाले आय कर पर देय ब्याज आय, दावे की स्वीकृति के वर्ष में मान्यता प्राप्त है।

बीमा दावे

बीमा दावों की मान्यता उस अवधि में प्राप्त की जाती है जिसमें दावों की स्वीकृति है।

XIV- विदेशी मुद्रा लेनदेन

प्रारंभिक मान्यता और मापन

विदेशी मुद्रा लेन–देन को लेन–देन की तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विदेशी मुद्रा विनिमय दर का अनुप्रयोग करते हुए कार्यात्मक मुद्रा में दर्ज किया जाता है।

अनुवर्ती मापन

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों का अंतरण, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बंदी दर पर किया जाता है।

विनिमय लाभ / हानि की मान्यता

मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न होने वाले विनियम अंतर अथवा मौद्रिक मदों के अंतरण के समय उस अवधि के दौरान की गई प्रारंभिक मान्यता पर दर्ज किए बिना अन्य दर पर दर्ज करने की स्थिति में अथवा पूर्व वित्तीय विवरण में अंतरित किए जाने पर, उनकी वास्तव में घटित अवधि में हुए लाभ-हानि विवरण में मान्यता की जाती है।

XV. आयकर

आयकर खर्चों में चालू और आस्थगित कर शामिल हैं। इसे उस स्तर तक लाभ–हानि में मान्यता दी गई है कि वह ईक्विटी अथवा ओसीआई के रूप में सीधे मान्यता प्राप्त व्यापार संयोजन अथवा मदों से संबंधित है।

चालू कर

चालू कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय अथवा हानि पर देय अथवा प्राप्त अनुमानित कर और पिछले वर्ष के संबंध में देय कर का समायोजन समाहित है। देय चालू कर राशि अनुमानित अदत्त या प्राप्त कर राशि का उत्तम अनुमान है जो आय कर से संबद्ध अनिश्चितता, यदि कुछ हो दर्शाता है। इसे अभिनीत कर दर अथवा

रिपोर्टिंग तारीख को सब्स्टांटिव अभिनीत कर दर पर मापन किया जाता है। जब कुछ मानदंडों को पूरा किया जाता है तभी चालू कर परिसंपत्तियों और देयताएं का समायोजन किया जाता है।

आस्थगित कर

वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव राशि तथा कराधान उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त आस्थगित कर के रूप में मान्य है। आस्थगित कर निम्न के लिए मान्य नहीं है:

- लेन–देन में परिसंपत्तियों अथवा देयताओं की प्रारंभिक मान्यता संबंधी अस्थायी अंतर व्यापार संयोजन नहीं है तथा लेखांकन एवं कर योग्य लाभ एवं हानि को प्रभावित नहीं करता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस संभाव्य सीमा तक अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर जमाओं एवं कटौती करने योग्य अस्थायी अंतरों हेतु मान्यता दी जाती है कि भावी कर–योग्य लाभ जिनके प्रति उनका उपयोग किया जा सके। विलंबित कर परिसंपत्तियों के प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समीक्षा की जाती है तथा तदनुसार समायोजन किया जाता है।

गैर मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है जिसे उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि भावी कर–योग्य लाभ जिनके प्रति उनका उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर उन कर–दरों पर मापे जाते हैं जो उनके उत्क्रमित होने पर, अधिनियमित कर दरों का प्रयोग करते हुए अथवा रिपोर्टिंग तारीख को मूलभूत अधिनियमित अस्थाई अंतरों पर लागू करने का अनुमान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का समायोजन केवल उस स्थिति में ही किया जा सकता है जब भारतीय लेखांकन मानक 12 में दिए गए कतिपय मानदंडों का अनुपालन किया गया हो।

XVI - उधार लागत

उधार लागत में निधियों से संबंधित कर्जों पर कंपनी को होने वाले ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं। उधार लागत में संबंधित परिसंपत्तियों की दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा देयताओं से संबंधित विनियम अंतर, जहां तक उधार लागत का समायोजन किया जा सके शामिल है ।

उधार लागत (अस्थाई निवेशों पर अर्जित निवल ब्याज) प्रत्यक्ष रूप से किसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन पर आरोप्य है, जो कि उद्देशित प्रयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में बहुत अधिक समय लेता है, जिन्हें परिसंपत्ति की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। ब्याज की गणना, निवेशित निधियों के भारित औसत लागत पर की जाती है।

सभी अन्य उधार संबंधी लागतें, घटित होने वाले वर्ष में व्यय की जाती हैं।

XVII - पट्टे

कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करते हुए भारतीय लेखांकन मानक 116 का अनुप्रयोग किया है। इसलिए तुलनात्मक सूचना का पुनर्बयान नहीं किया गया और भारतीय लेखांकन मानक 17 के अधीन रिपोर्ट की गई है।

संविदा की स्थापना पर कंपनी इसका मूल्यांकन करती है कि क्या संविदा, या उसमें भारतीय लेखांकन मानक 116 के अधीन की अपेक्षानुसार पट्टा होता है या नहीं। संविदा या उसमें पट्टा तब होता है जब संविदा द्वारा किसी पहचान की गई परिसंपत्ति को प्राप्त प्रति उपहार पर निर्धारित अवधि के लिए उपयोग किया जाता है। यह नीति 01 अप्रैल 2019 के बाद निष्पादित संविदाओं पर लागू किया जाता है।

संविदा जिसमें पट्टा घटक होता है उसके प्रारंभ अथवा पुनर्मूल्यांकन के समय, कंपनी संविदा के प्रत्येक पट्टा घटक के लिए प्राप्त मूल्य को उनके संबंधित एकल मूल्य के आधार पर आवंटित करती है और गैर–पट्टे घटकों के सकल एकल मूल्य पर आवंटित करती है। तथापि भूमि और मकान एवं वाहनों के पट्टे जिनमें वह पट्टेदार हो, उनमें कंपनी ने गैर–पट्टे घटकों को अलग करने का चयन नहीं किया है और पट्टा एवं गैर–पट्टा घटकों को एकल पट्टा घटक माना है।

i. पट्टेदार के रूप में

कंपनी परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार को मान्यता, पट्टा देयता, पट्टा प्रारंभ होने की तारीख से मानता है। परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार, प्रारंभित स्तर पर लागत पर मापन किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार के पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि अथवा पट्टा के प्रारंभ होने से पहले और व्यय हुए किसी प्रकार के प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और पूर्व संरचना को नष्ट करने में लगने वाले प्राक्कलित लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने अथवा अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस स्थान के पुनर्स्थापन को जोड़ा जाता है और प्राप्त किसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि को घटाया जाता है। परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार, पट्टा प्रारंभ होने की तिथि से परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के उपयोगी जीवन की समाप्ति या पट्टा अवधि की समाप्ति तक सीधी–रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए मूल्यह्रास किया जाता है। परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का प्राक्कलित उपयोगी जीवन, संपत्ति तथा उपकरणों के अनुरूप ही परिकलित किया जाता है। इसके अलावा, परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार सावधिक रूप से हानि, यदि कुछ हो द्वारा कम किया जाता है और कुछ पट्टा देयता पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है।

पट्टा देयता प्रारंभ की तारीख को भुगतान नहीं किया गया, पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का उपयोग करते हुए डिस्काउंटड अथवा वह दर निर्धारित नहीं हो तो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करते हुए प्रारंभिक स्तर पर पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य पर मापन किया जाता है। समान्यत: कंपनी अपनी वृद्धिशील उधार दर को डिस्काउंट दर के रूप में उपयोग करती है। पट्टा देयता में शामिल पट्टे भुगतान में निश्चित भुगतान (इन–सब्स्टन्स निश्चित भुगतान सहित), अवशिष्ट मूल्य गारंटी शामिल है जब कंपनी पर्याप्त रूप से खरीद, नवीकरण करती है और समाप्ति विकल्प में विक्रय विकल्प के अधीन कार्यान्वित मूल्य, वैकल्पिक नवीकरण अवधि में पट्टा भुगतान और पट्टे की समय–पूर्व समाप्ति के लिए दंड भी शामिल हैं।

पट्टा देयता, प्रभावी ब्याज प्रणाली का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापन किया जाता है। जब कोई पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधन या संशोधित इन–सब्स्टन्स निश्चित भुगतान होता तब इसका पुनर्मापन किया जाता है। जब पट्टा देयता का इस प्रकार पुनर्मापन किया जाता तब परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार की कैरियिंग राशि में उसके अनुरूप समायोजन किया जाता है अथवा परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार की कैरियिंग राशि कम करते हुए शून्य होने पर उसे लाभ या हानि में रिकार्ड किया जाता है।

कंपनी परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार प्रस्तुत करती है जो 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' में निवेश परिसंपत्ति की परिभाषा तथा तुलन पत्र में 'ऋण और उधार' में पट्टा देयता के अनुरूप नहीं है।

अल्पावधि पट्टे और न्यून–मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टे

कंपनी ने 12 माह या उससे कम अवधि के सभी अल्पकालीन पट्टे और न्यून–मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार और पट्टा देयता को मान्यता न देने का विकल्प अपनाया। कंपनी इन पट्टों से संबंधित पट्टे भुगतानों को पट्टे अवधि के दौरान सीधी–रेखा पद्धति अथवा अन्य किसी प्रणालीगत पद्धति पर व्यय के रूप में मान्यता देती है।

ii. पट्टाकर्ता के रूप में

जब कंपनी पट्टाकर्ता के रूप में कार्यरत है तब वह पट्टे के प्रारंभ में यह निर्धारित करती है कि भारतीय लेखांकन मानक 116 के अधीन की अपेक्षाओं के अनुसार क्या प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है अथवा परिचालनात्मक पट्टा है।

प्रत्येक पट्टे के वर्गीकरण के लिए कंपनी इसका समग्र मूल्यांकन करती है कि पट्टेदार को किए गए पट्टा अंतरण में पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व को आकस्मिक स्वामित्व के लाभ भी अंतरित करते हैं। यदि मामला यह है तो वह पट्टा वित्त पट्टा है अन्यथा वह परिचालनात्मक पट्टा है। इस मूल्यांकन के अंग के रूप में, कंपनी द्वारा कुछ संकेत जैसे कि पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन का अधिकांश भाग के लिए, पर विचार करती है।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर–पट्टा घटक होते हैं तो कंपनी संविदा में प्राप्त लाभ के आवंटन के लिए भारतीय लेखांकन मानक 115 का अनुप्रयोग करती है। कंपनी परिचालनात्मक पट्टे के अधीन प्राप्त पट्टा भुगतान को 'अन्य आय' के अंग के रूप में पट्टा अवधि के दौरान सीधी–रेखा प्रणाली पर आय मानती है।

भारतीय लेखांकन मानक 116 में अंत में पारगमन

कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक अनुप्रयोग के साथ भारतीय लेखांकन मानक 116 का अनुप्रयोग किया जिसके अंतर्गत प्रारंभिक अनुप्रयोग के संचयी प्रभाव 1 अप्रैल 2019 को प्रतिधारित अर्जन खोलना के रूप में मान्यता दी जाती है तथा तदुनसार तुलनात्मक सूचना का पुनर्कथन नहीं किया गया और भारतीय लेखांकन मानक 17 के अधीन रिपोर्ट करना जारी रखा गया है।

पारगमन में कंपनी ने व्यावहारिक समीचीन और पट्टे लेन–देन का मूल्यांकन लागू करने का विकल्प अपनाया है। तदनुसार कंपनी ने पूर्व मूल्यांकन किए गए संविदाएं और भारतीय लेखांकन मानक 116 के अधीन आगे किसी मूल्यांकन करते बिना पट्टा के रूप में पहचान किए गए संविदाओं पर ही भारतीय लेखांकन मानक 116 का अनुप्रयोग किया इसलिए भारतीय लेखांकन मानक 116 के अधीन पट्टा की परिभाषा केवल 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद निष्पादित संविदाओं पर अनुप्रयोग किया गया है।

xviii - प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

मान्यता और मापन

पिछली घटनाओं के कारण कंपनी की वर्तमान बाध्यताओं के लिए प्रावधान मान्य है। यह संभव है कि बाध्यताओं के निपटान के लिए संसाधनों का पर्याप्त प्रवाह हो जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान किया जा सके। प्रावधान के तौर पर मान्य की गई राशि, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय का उत्तम अनुमान है। प्रावधानों को वर्तमान मूल्य में भुनाए नहीं जाता है।

आकस्मिक देयता खातों के लिए प्रावधान नहीं की जाती है जिन्हें टिप्पणी के आधार पर प्रकटन किया जाता है।

xix - नकद और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में उल्लिखित नकद और नकदी समतुल्य में, बैंकों और हाथ में रखी गई नकदी तथा तीन माह या उससे कम मूल परिपक्वता युक्त अल्पावधि जमाएं, जो कि मूल्य में होने वाले परिवर्तन का महत्वहीन जोखिम पर निर्भर है।

xx - प्रति शेयर आमदनी

कंपनी अपने सामान्य शेयरों हेतु प्रति शेयर मूल एवं कम की गई आय (ईपीएस) के आंकड़े प्रदान करता है।

मूल ईपीएस की गणना, कंपनी के सामान्य शेयरधारकों को आरोप्य लाभ एवं हानि को, अवधि के दौरान बकाया सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करते हुए की जाती है, जिसमें खुद के रखे शेयर समायोजित किए जाते हैं।

प्रति शेयर कम की गई आय की गणना, सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर की जाती है जिसे प्रति शेयर मूल आय हेतु परिकलित है तथा सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या में समायोजित किया जाता है, जो सभी तनुकृत संभावित सामान्य शेयरों को सामान्य शेयरों में परिवर्तन करने पर जारी किया जाएगा। तनुकृत संभावित सामान्य शेयरों को अवधि के आरंभ में सामान्य शेयरों के रूप में परिवर्तित होने या फिर बाद में, संभावित सामान्य शेयरों की जारी होने की तिथि पर मान्यता दी जाती है।

xxi - नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण को भारतीय लेखांकन मानक 7 में निर्धारित नकदी प्रवाह विवरण में अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पण
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

2 संपत्ति संयंत्र और उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक		
	1 अप्रैल 2019 को	जोड़/ अंतरण	निपटान / अंतरण/ सामंजस	31 मार्च 2020 को	1 अप्रैल 2019 को	वापसी / स्थानांतरण/ समायोजन	वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	1 अप्रैल 2018 को
भूमि	24,989.51	9,686.06	-	34,675.57	-	-	-	-	34,675.57	24,989.51	23,169.18
भवन	1,700.45	4,342.06	-	6,042.51	102.07	-	264.84	366.91	5,675.60	1,598.38	62.36
फर्निचर और उपस्कर	228.34	192.32	0.33	420.33	50.87	(0.25)	50.20	100.82	319.51	177.47	77.47
इलेक्ट्रिक उपकरण	45.28	32.12	-	77.40	6.13	-	6.89	13.02	64.38	39.15	4.04
वाहन	-	88.50	-	88.50	-	-	0.88	0.88	87.62	-	-
₹5000 तथा उससे कम मूल्य की परिसंपत्तियां	1.84	11.02	-	12.86	1.84	-	11.02	12.86	-	-	-
कुल	**26,965.42**	**14,352.08**	**0.33**	**41,317.17**	**160.91**	**0.25**	**333.83**	**494.49**	**40,822.68**	**26,804.51**	**23,313.05**

परिसंपत्तियों के लिए कोई क्षति हानि की पहचान नहीं की गई है

3 उपयोग का अधिकार संपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक		
	1 अप्रैल 2019 को	अधिग्रहण/ स्थानांतरण	वापसी / स्थानांतरण/ समायोजन	31 मार्च 2020 को	1 अप्रैल 2019 को	वापसी / स्थानांतरण/ समायोजन	वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	1 अप्रैल 2018 को
पट्टों की इमारतें	3.94	23.30	-	27.24	-	-	11.69	11.69	15.55	-	-
कुल	**3.94**	**23.30**	**-**	**27.24**	**-**	**-**	**11.69**	**11.69**	**15.55**	**-**	**-**

गैर चालू परिसंपत्तियाँ

4 प्रगतिशील पूँजी कार्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2018 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
आपूर्ति और निर्माण	7,59,394.06	4,66,549.71	1,18,795.41
स्टॉक में पूंजीगत सामान	-	-	28.75
ब्याज	68,514.48	24,028.50	2,696.76
सी.डब्ल्यू.आई.पी के लिए आरोप्य व्यय	15,764.91	9,606.07	4,485.95
	8,43,673.45	**5,00,184.28**	**1,26,006.87**

5 अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2018 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
पूंजी अग्रिम	38,326.52	42,357.86	67,971.25
	38,326.52	**42,357.86**	**67,971.25**

चालू परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

6 नकद एवं नकद समतुल्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2018 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
अनुसूचित बैंकों के चालू खातों में शेष	1.97	3.15	1,189.98
	1.97	**3.15**	**1,189.98**

7 अन्य बैंक शेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2018 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
अनुसूचित बैंकों में जमा			
बैंक गारंटी और ऋण पत्र के लिए मार्जिन	5432.54	9,271.55	6,983.20
बहु विकल्प जमा (एमओडी)	65.05	11,599.71	-
	5497.59	**20,871.26**	**6,983.20**

8 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2018 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	25.97	45.93	18.65
	25.97	**45.93**	**18.65**

9 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2018 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम			
आयकर वापसी योग्य	131.13	97.50	32.90
कर्मचारियों को अग्रिम	370.11	217.15	28.14
सुरक्षा जमा	678.81	127.63	0.03
राइट्स लिमिटेड के साथ एस्क्रो	1,534.76	12.65	–
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	7.23	21.37	664.82
	2,722.04	**476.30**	**725.89**

ईक्विटी

10 ईक्विटी शेयर पूँजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2018 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
प्राधिकृत, निर्गत, अभिदत्त, तथा प्रदत्त शेयर पूंजी			
प्राधिकृत:			
500,00,00,000 ₹10/- प्रति के इक्विटी शेयर (500,00,00,000 ₹10/- प्रति के इक्विटी शेयर 31-03-2019 और 01-04-2018 को)	5,00,000.00	5,00,000.00	5,00,000.00
	5,00,000.00	**5,00,000.00**	**5,00,000.00**
निर्गत, अभिदत्त, तथा प्रदत्त:			
3,05,73,88,800 ₹10 प्रति के इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त 31-03-2020 को (1,69,30,36,800 ₹10 प्रति के इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त 31-03-2019 को) (90,44,00,000 ₹10 प्रति के इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त 01-04-2018 को)	3,05,738.88	169,303.68	90,440.00
	3,05,738.88	**169,303.68**	**90,440.00**

शेयरों के प्रत्येक वर्ग से जुड़े अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है, जिसमें प्रति शेयर ₹10/– मूल्य का है। इक्विटी शेयरों के धारक समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठकों में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार हैं।

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	शेयरों की सं.			% शेयरधारिता		
	31 मार्च 2020 के अनुसार लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2018 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	31 मार्च 2020 के अनुसार लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2018 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
एनएलसी इण्डिया लिमिटेड	155,92,68,288	86,34,48,768	46,12,44,000	51%	51%	51%
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	149,81,20,512	82,95,88,032	44,31,56,000	49%	49%	49%
	305,73,88,800	**169,30,36,800**	**90,44,00,000**	**100%**	**100%**	**100%**

11 अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2018 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
उपार्जित आय	(975.42)	(847.20)	(680.26)
	(975.42)	**(847.20)**	**(680.26)**
उपार्जित आय			
प्रारंभिक शेष *	(847.20)	(680.26)	(680.26)
वर्ष के दौरान वृद्धि	(128.22)	(166.94)	-
i) उपार्जित आय विनियोग के लिए उपलब्ध	(975.42)	(847.20)	(680.26)
काटें: विनियोजन	-	-	-
अन्य व्यापक आय	-	-	-
अंतिम शेष	**(975.42)**	**(847.20)**	**(680.26)**

गैर चालू देयताएँ

12 वित्तीय देयताएं

उधार

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2018 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
जमानती ऋण			
सावधि ऋण			
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,89,437.37	1,78,148.26	-
आरईसी लिमिटेड	2,28,339.80	1,41,687.85	-
	5,17,777.17	**3,19,836.11**	**-**

5,588.84 करोड़ रुपये का मियादी ऋण पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ और रुपये 5,478.16 करोड़ का रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक वर्ष एसबीआई एमसीएलआर. सहित 2.00% नियत में टाई अप किया गया है। ऋण एन.यू.पी.पी.एल परियोजना की संपत्ति पर पैरी पासु चार्ज द्वारा प्रतिभूति किया जाता है, जो 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों पर चुकता होता है। पहली किस्त 15 जुलाई 2024 को और उसके बाद की किस्त हर वर्ष 15 जनवरी और 15 जुलाई को भुगतान की जाएगी।

13 पट्टा देयता

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2018 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
पट्टा देयता	8.39	-	-
	8.39	**-**	**-**

चालू देयताएँ

वित्तीय देयताएं

14 उधार

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2018 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
संबंधित पक्ष से गैर जमानती सावधि ऋण			
एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा लिया गया ब्रिज ऋण	-	-	100,000.00
	-	**-**	**100,000.00**

15 व्यापार देय **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2018 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
(अ) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया; तथा*	791.88	375.08	175.04
(आ) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया देय **	1,04,423.00	97,248.10	34,075.73
	1,05,214.88	**97,835.18**	**34,250.77**

*इसमें ब्याज देय है, जो शून्य है

** एनएलसी इंडिया लिमिटेड के लिए देय राशि ₹1136.47 लाख शामिल हैं (31 मार्च 2019 के अनुसार ₹881.48 लाख)

16 अन्य वित्तीय देयताएं **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2018 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
ऋण पर उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं			
(अ) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	81.48	-	-
(आ) आरईसी लिमिटेड	61.62	-	-
	143.10	**-**	**-**

17 पट्टा देयता **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2018 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
पट्टा देयता	7.79	-	-
	7.79	**-**	**-**

18 अन्य चालू देयताएं **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2018 के अनुसार पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
सांविधिक देय	1,404.48	3,790.63	2,032.08
अन्य देयताएं			
- कर्मचारियों	293.26	212.91	-
- अन्य	1,473.24	823.98	166.30
	3,170.98	**4,827.52**	**2,198.38**

राजस्व

19 अन्य आय **(₹ लाख में)**

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31 मार्च 2020 लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
(अ) ब्याज	1,427.99	521.17
(आ) विविध	40.73	53.05
	1,468.72	**574.22**
काटें: प्रगतिशील कार्य–पूँजी में अंतरण	1,434.62	569.31
लाभ और हानि के विवरण में अंतरण	**34.10**	**4.91**

व्यय

20 **कर्मचारी हित लाभ व्यय** (₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31 मार्च 2020 लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
वेतन, मजदूरी तथा प्रोत्साहन	3,109.12	2,031.17
भविष्य तथा अन्य निधियों में योगदान	466.11	314.45
उपदान	34.08	14.03
कल्याणकारी व्यय	178.62	79.83
	3,787.93	**2,439.48**
काटें: प्रगतिशील कार्य–पूँजी में अंतरण	3,770.00	2,422.88
लाभ और हानि के विवरण में अंतरण	**17.93**	**16.60**

21 **वित्त लागत** (₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31 मार्च 2020 लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
अ) ऋण पर ब्याज		
अ) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ऋण	23,917.01	8,648.26
आ) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से ऋण	19,912.75	3,693.31
इ) एनएलसी इण्डिया लिमिटेड से ऋण	607.89	8,990.17
आ) पट्टा देयता पर ब्याज	1.80	-
अन्य उधार लागत	46.53	-
इ) कर पर ब्याज	78.81	135.11
	44,564.79	**21,466.85**
काटें: प्रगतिशील कार्य–पूँजी में अंतरण	44,485.98	21,331.74
लाभ और हानि के विवरण में अंतरण	**78.81**	**135.11**

22 **मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय** (₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31 मार्च 2020 लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	333.83	130.32
उपयोग का अधिकार संपत्ति	11.69	-
	345.52	**130.32**
काटें: प्रगतिशील कार्य–पूँजी में अंतरण	345.52	130.32
लाभ और हानि के विवरण में अंतरण	-	-

23 **अन्य व्यय** (₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31 मार्च 2020 लेखापरीक्षित	31 मार्च 2019 पुनः वर्णित - लेखापरीक्षित
किराया	8.19	7.02
परामर्श व तकनीकी जानकारी शुल्क	1,512.15	1,283.68
यात्रा व वाहन व्यय	396.93	347.20
बिजली व्यय	675.90	705.02
विज्ञापन व्यय	15.84	38.36
लेखा परीक्षकों को भुगतानः		

लेखा परीक्षा शुल्क	1.42	0.94
अन्य प्रमाणन शुल्क	1.24	-
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.24	0.31
सी.एस.आर. व्यय	995.31	191.03
मरम्मत एवं रख–रखाव	186.15	464.39
विविध व्यय	100.93	75.69
कैंटीन व्यय	46.41	20.62
सी.आई.एस.एफ व्यय	226.35	-
अन्य कर, चुंगी और लाइसेंस शुल्क	13.66	13.73
	4,180.72	**3,147.99**
काटें: प्रगतिशील कार्य–पूँजी में अंतरण	4,168.78	3,136.19
लाभ और हानि के विवरण में अंतरण	**11.94**	**11.80**

24 आय प्रति इक्विटी शेयर **(₹ लाख में)**

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
	लेखापरीक्षित	
कर पश्चात लाभ (₹ लाख में)	(128.22)	(166.94)
शेयरों की भारित औसत संख्या	2,06,06,63,751	96,34,51,125
शेयर का अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00
अर्जन प्रति शेयर – मूल और तनुकृत (₹)	(0.01)	(0.02)
कंपनी के पास कोई संभावित तनुकृत शेयर नहीं है, इस प्रकार प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय समान है।		

25 विदेशी मुद्रा में व्यय:

(₹ लाख में)

	विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
i	परामर्श	18.26	18.12
ii	कर्मचारियों के विदेशी दौरे	1.02	7.92
	कुल	**19.28**	**26.04**

26 आयात का सीआईएफ मूल्य:

(₹ लाख में)

	विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
i.	पूंजीगत वस्तुएं	13,551.48	16,740.05
	कुल	**13,551.48**	**16,740.05**

27 भूमि:

अ) अधिसूचित भूमि से संयंत्र क्षेत्र में, कंपनी पहले से ही 730.943 हेक्टेयर निजी भूमि और 60.667 हेक्टेयर सरकारी भूमि के कब्जे में है। म्यूटेशन पूरी निजी भूमि और 44.049 हेक्टेयर सरकारी भूमि के लिए पूरा किया गया है। शेष 16.618 हेक्टेयर सरकारी भूमि के लिए, जो आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आती है, कंपनी को अपनी भूमि को यूपी सरकार के साथ विनिमय करना होगा। और राजस्व विभाग के साथ निकट समन्वय में यह गतिविधि जारी है।

आ) हालाँकि, 52.33 हेक्टेयर भूमि को अन–अधिसूचित (पॉकेट लैंड) छोड़ दिया गया, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अलग–अलग चरणों में है। 46.1083 हेक्टेयर के लिए, पंजीकरण पूरा हो गया है। 5.6317 हेक्टेयर के लिए पंजीकरण प्रगति पर है, जिसके लिए भूमि मालिकों से सहमति पत्र प्राप्त किए गए हैं और यूपी प्रशासनिक विभाग द्वारा अंतिम पुरस्कार दिया गया है। शेष 0.59 हेक्टेयर पॉकेट भूमि के लिए, भूमि मालिकों से सहमति ली जा रही है।

इ) रेलवे साइडिंग में, 171.8425 हेक्टेयर निजी भूमि और 9.5899 हेक्टेयर सरकारी भूमि की आवश्यकता है। 126.0057 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है और कंपनी के कब्जे में है। 45.8368 हेक्टेयर के लिए पंजीकरण प्रगति पर है, जिसके लिए यूपी प्रशासनिक विभाग द्वारा अंतिम अवार्ड दिया गया।

सरकारी भूमि के तहत, 8.1663 हेक्टेयर अनारक्षित श्रेणी में आता है और 1.4236 हेक्टेयर आरक्षित श्रेणी में आता है। सरकारी भूमि की अनारक्षित श्रेणी के लिए 0.2176 हेक्टेयर का भुगतान किया गया। सरकारी भूमि के संपूर्ण आरक्षित वर्ग के लिए, कंपनी ने अपनी भूमि को यूपी सरकार के साथ विनिमय किया है और राजस्व विभाग के साथ निकट समन्वय में यह गतिविधि प्रगति पर है।

28 बैंकरों/वित्तीय संस्थाओं और एन.एल.सी.आई.एल. के साथ ऋण गठजोड़:

₹12067 करोड़ की परियोजना राशि के लिए 70% ऋण गठजोड के खिलाफ, निधियन को पीएफसी और आरईसी के साथ ₹11067 करोड़ के लिए गठजोड़ किया गया और एनएलसीआईएल के साथ ₹1000 करोड़ की अल्पकालिक निधियन व्यवस्था की गई। बैंक ऑफ इंडिया (₹1000 करोड़) के साथ पूर्व में गठजोड़ ऋण को रद्द कर दिया गया क्योंकि मंजूरी की शर्तें हमारी एलओए / निविदा शर्त के अनुसार नहीं थीं। 31.03.2020 को कुल लिखत ऋण ₹5177.77 करोड़ था। (पीएफसी-₹2894.37 करोड, आरईसी-₹2283.40 करोड और एनएलसीआईएल - शून्य). हालांकि, ₹1,000 करोड़ के लिए निधियन के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाया जा रहा है।

₹5,588.84 करोड़ का रुपया सावधिक ऋण पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ और ₹5,478.16 करोड़ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक वर्ष के एसबीआई एमसीएलआर + 2.00% के स्थिर प्रसार के साथ गठजोड हुआ है। ऋण एनयूपीपीएल परियोजना परिसंपत्तियां पर सम मात्रा प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जो 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों पर चुकाया जाता है। पहली किस्त 15–जुलाई –2024 के बाद और बाद की किस्त हर साल 15 जनवरी और 15 जुलाई को भुगतान किया जाएगा।

29 बैंक गारंटी:

31.03.2020 तक निम्नलिखित विवरण के अनुसार निम्नलिखित बैंक गारंटी जारी की गई है:

(₹ लाख में)

क्र.सं	बीजी नं	दिनांक	बैंक का नाम	के पक्ष में	बैंक गारंटी का मूल्य	बैंक गारंटी की वैधता	बैंक को दी गई सुरक्षा
i	0506917BG0000096	09.03.2017	एस.बी. आई	कोयला मंत्रालय	2910.60	08.05.2021	सावधि जमा
ii	0506917BG0000473	28.11.2017	एस.बी. आई	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	10.00	27.11.2022	सावधि जमा
iii	0506918BG0000110	21.03.2018	एस.बी. आई	एन एच ए आई	205.50	30.08.2020	सावधि जमा
				कुल	**3126.10**		

30 सीएसआर व्यय:

अ. पर्यावरण अनापत्ति के अनुसार:

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार दिनांकित 17.06.2015 के द्वारा दी गई पर्यावरण अनापत्ति के विशिष्ट शर्त ए, क्लॉज V के अनुसार, रुपये 68.95 करोड़ (अर्थात ₹17,237.80 करोड़ की परियोजना मंजूरी लागत का 0.40%), सीएसआर गतिविधियों की पूँजी लागत और 13.79 करोड़ रुपये (₹17,237.80 करोड़ की परियोजना मंजूरी लागत का 0.08%) घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना के संचालन तक प्रति वर्ष आवर्ती लागत के रूप में निर्माण अवधि के दौरान एनयूपीपीएल द्वारा खर्च करने की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय इस प्रकार है :

₹ लाख में

व्यय	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
शिक्षा और छात्रवृत्ति	-	4.52
सौर और गैर–पारंपरिक ऊर्जा सहित बिजली	-	12.31
सामुदायिक कल्याण	17.60	-
चिकित्सा–स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	19.21	35.51
सुरक्षित पेयजल आपूर्ति	86.64	82.51
स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाएं	800.67	12.41
व्यावसायिक कौशल विकास	-	6.06
स्कूल, पुस्तकालय और छात्रावास का निर्माण	65.77	33.14
अन्य	3.38	4.57
कुल	**993.27**	**191.03**

आ. कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार:

कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% सीएसआर में खर्च किया जाना है। उसी के आधार पर एनयूपीपीएल द्वारा किया जाने वाला न्यूनतम सीएसआर खर्च ₹1.24 लाख है। एनयूपीपीएल ने धारा 135 के तहत सीएसआर गतिविधियों पर निम्नलिखित राशि खर्च की है:

(₹ लाख में)

व्यय	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता को बनाए रखना	2.04	-
कुल	**2.04**	**-**

31 ठेकेदारों के साथ असमायोजित अग्रिम:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	जोड़	घटाव	31.03.2020 के अनुसार
ठेकेदारों के साथ असमायोजित अग्रिम	42,357.86	10,996.40	15,084.27	38,269.99

32 ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किये गये दावे:

अ. आकस्मिक देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	जोड़	आहरण	31.03.2020 के अनुसार
आकस्मिक देयताएं – प्रकृति / विवरण	-	-	-	-

आ. निष्पादित की जाने वाली शेष ठेके की अनुमानित मूल्य जो लेखे में उपलब्ध नहीं है:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार	जोड़	घटाव	31.03.2020 के अनुसार
निष्पादित की जाने वाली शेष पूंजी कार्य	5,58,278.04	1,07,245.35	2,77,773.79	3,87,749.60

33 प्रकटन:

अ. भारतीय लेखांकन मानकों का अभिग्रहण

कंपनी परियोजना निष्पादन की अवस्था में है तथा सभी व्यय/आय को तुलन पत्र में सन्निर्माण लेखा (सी. डब्ल्यू.आई.पी.) के माध्यम से किया जा रहा है, अप्रत्यक्ष प्रशासनिक खर्च और सरप्लस इक्विटी पर ब्याज आय के अलावा, जो लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से किए जाते हैं।

वित्तीय विवरण वित्त वर्ष 2016–17 से लागू कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 और विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार पहले ही तैयार किया जा चुका है।

वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार इक्विटी का समाधान ईक्विटी ए और बी में परिवर्तन के विवरण में दर्शाया गया है।

आ. कर्मचारियों के लिए निर्धारित लाभ तथा अंशदान योजनाए:

निर्धारित लाभ तथा अंशदान योजनाओं के तहत वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यय किए गए:

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
उपादान	34.08	14.03
भविष्य निधि	217.83	148.46
पेंशन	181.70	119.93
पी.आर.एम.ए.	66.58	46.06

इ. वर्ष 2019–20 के दौरान महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव

एनयूपीपीएल ने लेखांकन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के क्रम में, मूल कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड की लेखांकन नीतियों के अनुरूप जहाँ भी आवश्यक हो, लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किए हैं।

हालांकि, उपरोक्त परिवर्तनों के कारण वित्तीय विवरणों में कोई सामग्री पर प्रभाव नहीं है।

ई. वेंडर शेष राशि / समाधान की पुष्टि

i) वर्ष 2019–20 के दौरान, शेष राशियों और पुष्टि के लिए प्राप्त पत्र प्रमुख पैकेज ठेकेदारों के संबंध में शेष राशि का समाधान किया गया।

ii) **31–03–2020** को **पीएफसी और आरईसी** के साथ ऋण शेष का भी समाधान किया गया।

iii) 31 मार्च 2020 तक, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क/आयकर अधिकारियों / राज्य के राजस्व विभाग के पास कोई लंबित जमा नहीं था।

उ. आस्तियों का वास्तविक सत्यापन

वर्ष 2019–20 के दौरान, जीटीपीएस स्थल पर कार्यपालकों की समिति द्वारा अचल आस्तियाँ का वास्तविक सत्यापन किया गया और किसी भी प्रकार की सामग्री विसंगतियों पर ध्यान नहीं दिया गया।

ऊ. भूमि पूँजीकरण

वर्ष 2018–19 के दौरान 31–03–2019 तक किए गए उत्परिवर्तन के आधार पर भूमि का पूंजीकरण किया गया। लेकिन, लेखांकन नीति के अनुसार, भूमि को कंपनी के पक्ष में शीर्षक विलेख के कब्जे / हस्तांतरण पर लेने की तारीख को पूंजीकृत किया जाएगा। इसलिए, ₹1522.84 लाख की भूमि का मूल्यांकन 2019–20 में पूंजीकृत किया गया जो कंपनी के कब्जे में था या 31–03–2019 से पहले कंपनी के पक्ष में पंजीकृत था।

ऋ. संदिग्ध कपटपूर्ण वाले लेन–देन:

हाल ही में रजिस्ट्री दस्तावेजों के साथ भूमि अधिग्रहण लेनदेन के समाधान के दौरान संदिग्ध कपटपूर्ण लेनदेन के दो उदाहरणों की पहचान की गई। इसमें शामिल राशि प्रत्येक मामले में क्रमशः ₹8.53 लाख और ₹21.11 लाख है। इन राशियों को वर्तमान में अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है। आंतरिक और बाहरी एजेंसियों द्वारा आगे की जांच प्रगति पर है और कंपनी भविष्य में इस तरह के कपटपूर्ण लेनदेन को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सभी उपाय कर रही है।

ए. विद्युत खरीद करार

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के साथ संयंत्र की क्षमता के 75% के लिए विद्युत खरीद करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए। कुल 1843.68 मेगावाट (93.12%) 1980 मेगावाट विद्युत में से ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यूपी सरकार को आवंटित किया गया। शेष 136.32 मेगावाट (6.88%) असंबद्ध है। यूपीपीसीएल के साथ मौजूदा पीपीए में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है।

ऐ. कोल लिंकेज

घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की कोयले की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए दक्षिण पछवारा कोल ब्लॉक (एसपीसीबी), जिला दुमका, झारखंड कंपनी को आवंटित किया गया। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आवंटित ब्लॉक से उत्पादन अपेक्षित है। जब तक एसपीसीबी चालू नहीं हो जाता, तब तक आवश्यक कोयला एनएलसीआईएल के तालाबीरा कोयला खान परियोजना, संबलपुर, ओडिशा से प्राप्त किया जाएगा।

34 भारतीय लेखांकन मानक–24 में निर्धारित संबंधित पार्टियों के साथ किये गये लेन–देन का प्रकटन नीचे दिया गया है:

अ <u>एनएलसी इंडिया लिमिटेड</u> के नियंत्रक कंपनी के साथ लेन–देन

<u>एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ स्थाई निधियन प्रबंध</u>

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
प्रारंभिक शेष	-	1,00,000.00
वर्ष के दौरान लिया गया ऋण	79,000.00	34,000.00
वर्ष के दौरान ऋण चुकाना	79,000.00	1,34,000.00
अंतिम शेष	-	-
वर्ष के दौरान दिए गए ऋण पर ब्याज	607.89	8,990.17

अन्य लेनदेन:

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
कॉर्पोरेट सेवा अनुबंध शुल्क	1,314.47	1,161.08
ओ एंड एम शुल्क	170.75	110.64
एनएलसी इंडिया लिमिटेड को देय राशि	1,136.47	881.48

आ. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के साथ लेनदेन

(i) संबंधित पार्टियों की सूची: (अ) मुख्य प्रबंधन कार्मिक:

अध्यक्ष	निदेशकगण
श्री राकेश कुमार	श्री नाडेल्ला नाग महेश्वर राव (07.02.2020 को कार्यमुक्त) श्री शाजी जॉन (17.04.2019 से नियुक्त) श्री जयकुमार श्रीनिवासन (07.02.2020 से नियुक्त) श्री बिद्या सागर तिवारी (01.07.2019 को कार्यमुक्त) श्री सुबीर चक्रवर्ती श्री नरेन्द्र कुमार सिंह श्री अजीत कुमार तिवारी (23.08.2019 से नियुक्त)
श्री कौशल किशोर आनंद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (23.12.2019 को कार्यमुक्त) श्री मोहन रेड्डी के, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (23.12.2019 से नियुक्त) श्री अशोक कुमार माली, मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री निखिल कुमार, कंपनी सचिव	

(ii) संबंधित पार्टियों के साथ वर्ष के दौरान लेन–देन:

अ. उपर्युक्त (i) में सूचीबद्ध की गई निदेशकों को पारिश्रमिक : शून्य

आ. उपर्युक्त (i) में सूचीबद्ध की गई निदेशकों के अतिरिक्त वेतन :

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
सकल वेतन	95.73	83.01
अन्य लाभ	14.55	13.23
कुल	**110.28**	**96.24**

35 भारतीय लेखांकन मानक 116 – पट्टे पर प्रकटीकरण

पट्टेदार के रूप में

परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार के वहन मूल्य में परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार (₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
इमारतें		
प्रारंभिक शेष	3.94	-
जोड़	23.30	-
घटाव		-
मूल्यह्रास शुल्क	11.69	-
31 मार्च 2020 को शेष राशि	**15.55**	-

पट्टा देयताएं **(₹ लाख में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
परिपक्वता विश्लेषण – संविदात्मक नकदी प्रवाह		
एक वर्ष से कम	8.80	-
एक से पांच साल तक	17.52	-
पाँच वर्ष से अधिक	-	
कुल गैर बट्टागत पट्टे की देयताएं	26.32	-
तुलन पत्र में पट्टे की देयताएं शामिल हैं	16.18	-
वर्तमान	7.79	-
गैर वर्तमान	8.39	-

लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियाँ **(₹ लाख में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
पट्टे की देयताएं पर ब्याज	1.80	-
	1.80	-
काटे– प्रगतिशील कार्य–पूँजी में हस्तांतरित	1.80	-
कुल	**-**	**-**

नकदी प्रवाह के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि **(₹ लाख में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्गमन	13.39	-

कंपनी को अपने पट्टों की देयताएं के संबंध में महत्वपूर्ण चलनिधि जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मौजूदा परिसंपत्तियां पट्टों की देयताएं से संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, जब वे देय होते हैं।

वित्तीय विवरणों पर प्रभाव

भारतीय लेखांकन मानक 116 में संक्रमण के कारण, कंपनी ने ₹3.94 लाख की परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार को और ₹3.41 लाख की पट्टों की देयताएं को मान्यता दी है, प्रगतिशील कार्य–पूँजी में ₹0.53 लाख के अंतर को मान्यता दी है।

पट्टा देयताएं को मापने के दौरान, कंपनी ने 1 अप्रैल 2019, 8% पर अपने वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके पट्टों की भुगतान को छूट दी है।

36 भारतीय लेखांकन मानक 8 लेखांकन नीतियों के अनुसार प्रकटीकरण, लेखांकन अनुमान और त्रुटियों में परिवर्तन:

अ. वित्तीय वर्ष 2015–16 और 2016–17 के ₹1134.97 लाख और ₹209.95 लाख के अधिशेष इक्विटी फंड से किए गए निवेश पर ब्याज आय को लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में दिखाने के बजाय गलत तरीके से प्रगतिशील कार्य–पूँजी से कम कर दिया गया। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2015–16 के ₹685.07 लाख में से 31–03–2018 तक आयकर और ब्याज एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 के ₹1139.90 लाख दर्ज नहीं किए गए थे और आयकर प्रतिदेय ₹458.67 लाख तक बढ़ाया गया एवं ₹1366.30 लाख का आयकर देय दर्ज नहीं किया गया। इसलिए, 01–04–2018 को प्रतिधारित आय, सीडब्ल्यूआईपी के कारण व्यय, आयकर प्रतिदेय एवं सांविधिक देय उपरोक्त त्रुटियों के प्रभाव को ठीक करने के लिए पुनः घोषित किया गया।

आ. वित्तीय वर्ष 2018–19 के ₹4.91 लाख के अधिशेष इक्विटी फंड से किए गए निवेश पर ब्याज आय को लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में दिखाने के बजाय गलत तरीके से प्रगतिशील कार्य–पूँजी से कम कर दिया गया। ₹135.11 लाख की आय कर और ₹8.34 लाख के वर्तमान वर्ष के कर पर ब्याज, वित्तीय वर्ष 2018–19 में दर्ज नहीं किया गया। इसलिए, 31–03–2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय, वित्त लागत और वर्तमान कर और सीडब्ल्यूआईपी का स्त्रोतजन्य व्यय एवं 31–03–2019 के लिए आयकर प्रतिदेय के रूप में व्यय उपरोक्त त्रुटियों को ठीक करने के लिए पुनः दोहराया गया।

इ. वित्तीय वर्ष 2017–18 में भुगतान किए गए ₹691.35 लाख के पूंजी अग्रिम को गलत तरीके से "अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों" के तहत "पूंजी अग्रिम" के रूप में दिखाए जाने के बजाय प्रगतिशील कार्य–पूँजी के तहत "सीडब्ल्यूआईपी का स्त्रोतजन्य व्यय " के लिए स्थानांतरित किया गया था। "सीडब्ल्यूआईपी का स्त्रोतजन्य लाभ" और "पूंजी अग्रिम" के उपर्युक्त त्रुटियों को ठीक करने के लिए 31–03–2019 को पुनः दोहराया गया।

ई पिछले वर्ष के आँकडों को जहाँ आवश्यकता है को वर्गीकृत किया गया है।

37 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के आवश्यकतानुसार 31 मार्च 2020 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में जानकारी

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
अ. किसी आपूर्तिकर्ता को अदत्त बकाया राशि:		
मूलधन	791.88	375.08
उसके कारण ब्याज	-	-
आ. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि, नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ताओं को राशि की भुगतान की गई	-	-
इ. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए ब्याज की देय राशि और देय (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत ब्याज को जोड़े बिना निर्धारित की गई	-	-
ई उपार्जित ब्याज और शेष अदत्त राशि	-	-
उ. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत एक कटौती योग्य व्यय के रूप में छूट के प्रयोजन के लिए, उपर्युक्त ब्याज बकाया को उस दिनांक तक सफल वर्षों में भी बकाया शेष ब्याज की अगली राशि और देय राशि वास्तविक रूप से लघु उद्योग को भुगतान किया जाता है	-	-